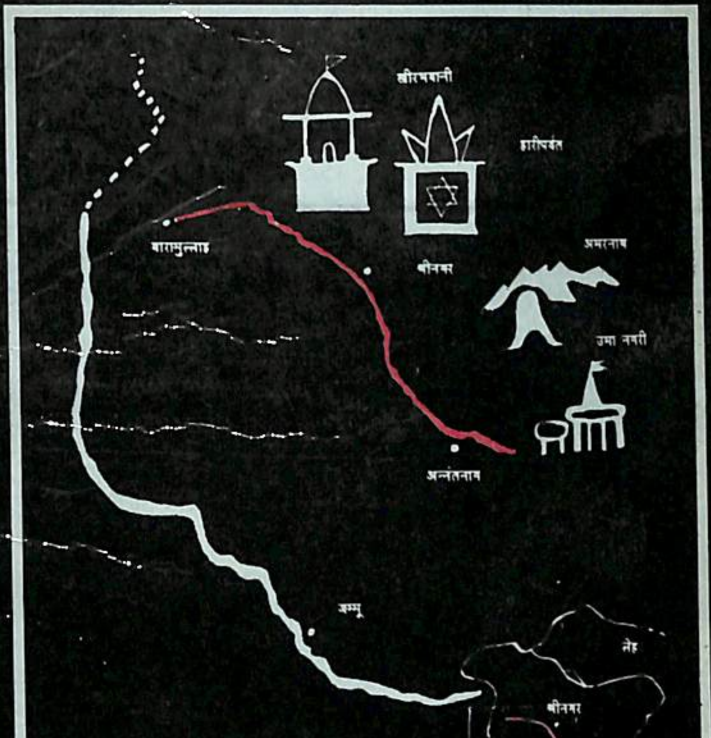
होमलैंड क्यों ?



पनुन कश्मीर

कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर घाटी में

होमलैंड क्यों ?

पनुन कश्मीर

होमलैंड क्यों ?

1
समर्पण

जन्मभूमि

तुम्हारा दुख बांटने के लिए जीते हैं हम
और मरते हैं तुम्हारी यातना सहने के लिए
जबकि वे रौंदते हैं
अपवित्र करते हैं तुम्हें
और हमें धकेल देते हैं
निर्वासन में

एक उजाड़ में भटकते हैं हम
अपनी आत्माओं के बिना
जिन्हें छोड़ आए हैं तुम्हारे पास,
कुछ नहीं सुन पाते हैं हमारे कान
तुम्हारी मर्मभेदी कराहों के सिवा
और न आँखें ही देख पाती हैं कुछ
तुम्हारे जख्मों से बहते खून के सिवा।

डूब चुकी हैं हमारी स्मृतियाँ
याद बची है तो तुम्हारे अपमान की,
अब हमारे पांव ढूंढते हैं वे रास्ते

जो ले जाएं तुम तक,
और बंदूकों के आतंक से लड़ने के लिए
हाथों में ले लेते हैं हम
कलम की बेशुमार ताक़त को ।

जुबान रह रह कर रुक जाती है
एक ही शब्द पर
- जन्मभूमि;
सभी स्वर्गों से प्यारी
हम हर कीमत पर
फिर से करेंगे तुम्हारा आलिंगन,
हम छटपटा रहे हैं
तुम्हें देखने के लिए ।
तुम्हारी ज़मीन को चूमने के लिए
बेकरार हैं हमारे होंठ,
ओ पवित्र भूमि !
हमारी जन्मभूमि !

❃ ❃ ❃

2

भूमिका

कश्मीर घाटी में मुसलमान कट्टरपंथियों ने आतंकवाद और विध्वंस का रास्ता अपनाने के बाद कश्मीरी हिंदुओं को उनकी सदियों पुरानी जन्मभूमि से बाहर खदेड़ दिया। इसके बाद अब विस्थापन का उनका यह तीसरा वर्ष है।

जम्मू में 1991 में संपन्न हुए अधिवेशन **'मार्गदर्शन'** में **'पनुन कश्मीर'** ने ऐतिहासिक **'होमलैंड'** प्रस्ताव रखा जिसे विस्थापित कश्मीरी हिंदू समुदाय के 800 से अधिक प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया। ये प्रतिनिधि अलग-अलग विचारधाराओं के थे और उन सभी शहरों और कस्बों से आए थे जहाँ उन्होंने शरण ली हैं। इस प्रस्ताव के क्रियात्मक हिस्से में मांग की गई थी कि :-

(अ) कश्मीर घाटी में कश्मीरी हिंदुओं के लिए एक होमलैंड बनाया जाए जिसके अंतर्गत जेहलम नदी के उत्तर और पूर्व के इलाके रखे जाएं।

(ब) इस 'होमलैंड' में जीवन, अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता, समता और कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत का संविधान सच्चे अर्थों में लागू किया जाए।

(स) इस होमलैंड को 'संघ शासित प्रदेश' का दर्जा दिया जाए और

(द) सभी सात लाख हिंदू, जिनमें से कुछ अतीत में कश्मीर से बाहर खदेड़ दिए गए हैं और अब अपनी जन्मभूमि को वापस लौटने के लिए बेकरार हैं और कुछ हाल ही में कश्मीर में आतंकवाद के कारण घर छोड़ कर भाग जाने के लिए मजबूर हो गए हैं, इस होमलैंड में समान अधिकारों के आधार पर पूरे सम्मान और गौरव के साथ बसाए जाएं।

यह अधिवेशन बेहद सफल रहा और इसकी काफी चर्चा हुई। इसमें स्वीकृत प्रस्ताव को पूरा समर्थन मिला और सभी बुद्धिजीवी, संस्कृतिकर्मी, राजनीतिशास्त्री और आम आदमी इसको लेकर एकमत हैं। तब से **'पनुन कश्मीर'** कश्मीरी हिंदू समुदाय के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है और इसकी आशाओं, इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा आंदोलन है। कश्मीर घाटी, जम्मू व कश्मीर राज्य और पूरे देश के राजनीतिक हलकों और पत्रकारिता के क्षेत्र

में **'होमलैंड'** की इस मांग को लेकर काफी बहस हुई है और बहुत कुछ लिखा भी गया है। पिछले एक वर्ष से इस मांग की काफी प्रशंसा हुई है और आम आदमी भी इसको साफ-साफ समझने लगा है। शरणार्थी समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा **'होमलैंड'** का समर्थन करता है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सामने यह विचार स्पष्ट नहीं होगा। इस विचार को तर्क की कसौटी पर कसने का अधिकार हर आदमी को है। इस प्रक्रिया में शरणार्थियों को राजनीतिक, संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा के आश्वासनों के साथ अपने घर वापस भेजने के इस नए विचार को लेकर कई प्रश्न और संदेह उभर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर देने और स्वार्थी तत्त्वों और कश्मीरी हिंदू समुदाय के शत्रुओं की पैदा की गई गलतफहमियों को दूर करने के लिए 'पनुन कश्मीर' अपना कर्त्तव्य समझता है कि वह इस पुस्तिका को लोगों के सामने रखे। इस पुस्तिका में 'होमलैंड' की मांग की उत्पत्ति की संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है। इससे जुड़े प्रश्नों के उत्तर भी दिए गए हैं ताकि कश्मीर घाटी में यह समुदाय जो 'होमलैंड' मांग रहा है, उसकी ऐतिहासिक अनिवार्यताएँ स्पष्ट हो जाएं। जब तक सही सोच वाले सभी लोग इस मांग की सच्चाई, स्वाभाविकता और अनिवार्यता को स्वीकार न कर लें, हम इस बहस को जारी रखने की कोशिश करते रहेंगे। फिर भी हम पूरे देश और विशेषकर कश्मीरी पंडितों को अंदर और बाहर की उन विघटनकारी ताकतों से खबरदार करते हैं जो स्वयं ही या आतंकवादियों और देश के दुश्मनों के इशारे पर होमलैंड की मांग के खिलाफ अफवाहें फैला रहे हैं और दुष्प्रचार कर रहे हैं। इससे निर्वासन झेल रहे कश्मीरी हिंदू समुदाय की परेशानियां तो बढ़ेंगी ही, देश के जकड़े हुए मानस में कई संदेह भी उत्पन्न होंगे।

'पनुन कश्मीर' धर्मनिरपेक्षता, जनतंत्र और कानूनी व्यवस्था, और सभी धर्मों एवं आस्थाओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता और आतंकवाद का विरोध करता है। इसका ध्येय है कश्मीर घाटी से खदेड़े गए सभी निर्वासितों को सम्मान और गौरव के साथ उनके 'होमलैंड' में बसाना।

❀ ❀ ❀

3

उत्पत्ति (होमलैंड क्यों ?)

> हम दोस्तों की तरह आते हैं तुम्हारे पास
> लेकिन तुम दुश्मनों की तरह
> टूट पड़ते हो हम पर
> हमारी दोस्ती और तुम्हारी दुश्मनी के बीच
> एक गहरी दरार है जिसमें सैलाब है खून का
> और आंसू बहते हैं बेतहाशा ।
> -खलील जिब्रान

जम्मू व कश्मीर राज्य

जम्मू व कश्मीर राज्य विभिन्न भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों को मिलाकर बनता है । इन क्षेत्रों में अलग-अलग परन्तु विशिष्ट जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं जिनकी भाषाएं भी अलग-अलग हैं । राज्य के लगभग 84000 वर्गमील क्षेत्र में से 3000 वर्गमील क्षेत्र में कश्मीर घाटी फैली हुई है । 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप के विभाजन के बाद पाकिस्तान ने हमला करके राज्य का लगभग तीसरा हिस्सा हथिया लिया । राज्य के सबसे बड़े खंड लद्दाख की आबादी बहुत कम है जहां बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग रहते हैं । इसके निकट ही कर्गिल में मुसलमान रहते हैं । हिंदूबहुल जम्मू प्रांत के कुछ ज़िलों में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी लगभग एकमान है । कश्मीर घाटी में मुसलमान अधिक हैं और हिंदू, सिक्ख और बौद्ध बहुत कम । कश्मीर के हिंदू असल में कश्मीरी पंडित हैं ।

घाटी के हिंदू

कश्मीरी पंडितों की एक विशिष्ट पहचान है जो पिछले पांच हज़ार वर्षों से चली आ रही है । वे कश्मीरी भाषी हैं और हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं जिसमें शैव दर्शन पर खास ज़ोर दिया गया है । वे शांति, अहिंसा और धार्मिक सहिष्णुता के आदर्शों में विश्वास रखते हैं । ऐसी ही विचारधारा की वजह से उन्होंने घाटी के बाहर से आई धार्मिक आस्थाओं के मूल तत्त्वों को भी आत्मसात कर लिया । आस्थाओं के इस मेल से ही सूफ़ी ऋषि परंपरा उभरी जो वास्तविक 'कश्मीरियत' का एक हिस्सा है ।

इस्लाम का आगमन और उत्पीड़न

1339 ई. में इस्लाम के आगमन के बाद से घाटी के हिंदुओं को, जो वहां के मूल निवासी हैं; समय-समय पर मुसलमान शासकों का अत्याचार सहना पड़ा। उनपर भारी कर लगाए गए, बर्बरतापूर्ण अत्याचार किए गए और हज़ारों की संख्या में उनकी हत्याएं की गई। उनकी स्त्रियों के साथ ज़बरदस्ती विवाह कर लिया जाता और पुरुषों को धर्मपरिवर्तन के लिए मजबूर किया जाता। उनके मंदिर अपवित्र कर दिए गए और उन्हें तोड़कर मस्जिदें बना दी गई। बाकी बचे हिंदू घाटी से बाहर खदेड़ दिए गए। उन्हें बार-बार निर्वासन की पीड़ा सहनी पड़ी। वे दूरदराज़ के इलाकों और जंगलों में गुमनाम ज़िंदगी जीते रहे। धर्मांधता और उत्पीड़न का तूफ़ान थोड़ा कम हुआ तो कुछ निर्वासित अपने घरों को लौट आए। हर निर्वासन के बाद इस समुदाय को बेशुमार कठिनाइयाँ और विनाश झेलने पड़े जिससे कश्मीर घाटी में इसकी संख्या आश्चर्यजनक रूप से कम होती गई। कश्मीरी हिंदू अपनी ही जन्मभूमि में अल्पसंख्यक होकर रह गए।

भारत में विलय और उत्पीड़न

1947 में स्वतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक भारत में जम्मू व कश्मीर राज्य का विलय हुआ। तब से घाटी के हिंदू दमन, अभाव, भय और अनिश्चितता का जीवन जीते रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के समान अवसर उन्हें नहीं दिए गए और वे हालात से समझौता करके जीते रहे। उनकी धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध सा लगा रहा। सभी स्तरों पर उत्पीड़न के शिकार होने के कारण कश्मीरी हिंदू अपेक्षाकृत शांत परिस्थितियों में भी घाटी छोड़ते रहे। 1947, 1965 और 1971 में पाकिस्तानी हमलों के समय और 1967 में अपने अधिकारों के लिए किए गए कश्मीरी पंडितों के आंदोलन के समय इस निर्वासन में तेज़ी आई। 1986 में हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक तूफान के दौरान यह निर्वासन अपने चरम बिंदु को पहुंचा।

नया कश्मीर

जम्मू व कश्मीर राज्य के भारत में विलय के बाद नेशनल कान्फ्रेंस अपना 'नया कश्मीर' घोषणापत्र लेकर सत्ता में आई। ऊपर से तो यह घोषणापत्र धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील और जनतांत्रिक आदर्शों से भरा हुआ लगता था। आशा की जाती थी कि आम आदमी के जीवन को सुधारने के लिए राजनीतिक और आर्थिक कार्यसूची

मिल गई है जिससे राज्य का भविष्य संवर जाएगा। ऊपर से इस पर 'हिंदू, मुस्लिम, सिक्ख इतिहाद' का मुलम्मा भी चढ़ा हुआ था। लेकिन असल में इसका उद्देश्य था राज्य का पुनर्गठन इस तरह से करना कि केवल मुसलमानों के अनुकूल एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण हो सके।

भूमि सुधारों के लागू होने से हिंदुओं को भारी नुकसान हुआ। उन्हें अपनी छोटी ज़मीनों से भी हाथ धोना पड़ा जिससे वे रोज़गार के लिए राज्य से बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए। एक के बाद एक कई कानून लागू किए गए। जैसे 1964 में जागीरदारी उन्मूलन, बड़ी जागीरों के उन्मूलन का अधिनियम, गिरवी जायदाद प्रत्यावर्तन अधिनियम, संतप्त ॠणदाता राहत अधिनियम और 1976 में भूमिसुधार अधिनियम। इन कानूनों से कश्मीरी हिंदू समुदाय का काफी नुकसान हुआ और इसकी तबाही की शुरूआत हुई। सांप्रदायिक सौहार्द, समानता और निर्धनों को अवसर देने की आड़ में राज्य सरकार ने राज्य के मुस्लिम बहुसंख्यकों के उद्देश्यों का ही पोषण किया। इसके लिए आगे बढ़ने के समान अवसरों और धार्मिक पक्षपात से बचाव के सार्वभौमिक अधिकारों की कोई परवाह नहीं की गई।

राज्य सरकार में नौकरी पाने के नियमों को मुसलमानों के अनुकूल बनाने के लिए उनमें समय -समय पर फेरबदल किया गया। शिक्षा संस्थानों में व्यावसायिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश पाने के नियमों के साथ भी ऐसा ही किया गया। नतीजा यह हुआ कि स्कूलों, व्यावसायिक कालेजों और विश्वविद्यालयों, सरकारी नौकरियों और नौकरियों में स्थानांतरणों के मामलों में हिंदुओं के साथ पक्षपात होने लगा।

जबकि शेष भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा के उपाय किए गए, कश्मीर में स्थिति इसके विपरीत थी। केवल बहुसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा की गई, उन्हें प्रोत्साहित और गरिमामंडित किया गया जबकि एक ऐसे अल्पसंख्यक समुदाय के उचित अधिकारों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा गया, जो संवैधानिक, कानूनी, प्रशासनिक और सामाजिक सभी स्तरों पर लगातार बेदर्दी से शोषण का शिकार बनाया गया। नतीजा यह हुआ कि हिंदुओं की ज़मीनें और जागीरें ज़ब्त की गई, मंदिरों की जायदाद हथिया ली गई और एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इस समुदाय के सदस्य धीरे-धीरे महत्वपूर्ण पदों से हटाए जाने लगे। इस तरह घाटी के प्रशासन तंत्र में से इस समुदाय को निकाल फेंका गया।,

कश्मीर घाटी में हब्बा क़दल ही एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र था जिसमें हिंदुओं की बहुलता थी। इसका पुनर्गठन इस तरह से किया गया कि चुनाव होने पर कश्मीरी

हिंदुओं का एक भी प्रतिनिधि राज्य विधान सभा में न जा सके। इस्लामी कट्टरतावाद और पुर्नजागरणवाद की इस कौआरोर में अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज़ डूब गई। इस समुदाय के ज्यादातर सदस्यों के सामने शिकायतों के निवारण के लिए एकमात्र रास्ता अदालतों का ही था। राज्य प्रशासन, अफ़सरशाही और दूसरे सरकारी संस्थानों के खिलाफ कश्मीरी हिंदुओं ने अदालतों में जो वैयक्तिक और सामूहिक मुकदमे दायर किए हैं उनसे यह बात स्पष्ट होती है। दुर्भाग्यवश हिंदुओं को राज्य की अदालतों में कई बार निराश होना पड़ा और उन्हें न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजें खटखटाने पड़े। उदाहरण के लिए **त्रिलोकी नाथ तिक्कू और अन्य बनाम सरकार** का मुकदमा लिया जा सकता है जिसमें उच्चतम न्यायालय ने सैंकड़ों हिंदू अध्यापकों की पदोन्नति के पक्ष में फैसला सुनाया। इनके अधिकारों का कोई ध्यान न रखते हुए सरकार ने उनकी पदोन्नतियां रोक दी थीं। राज्य प्रशासन ने कई बार उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा की। समय, पैसे और श्रम की बरबादी के बावजूद भी कई उम्मीदवारों को उचित स्थान नहीं दिया गया। ऐसे हज़ारों मामले देखने में आए हैं।

प्रशासन और सरकार का षड्यंत्र

कश्मीर के भारत में विलय के बाद से ही राज्य प्रशासन ने मुस्लिम कट्टरपंथियों की योजनाओं को मौन स्वीकृति दी। इन लोगों ने सभी सरकारी संस्थानों में अपने पांव जमा लिए और राज्य की सारी व्यवस्था के धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक चरित्र को बदल कर उसे एक शुद्ध इस्लामी सांचे में ढाल लिया। सरकारी तौर पर इस्लामीकरण की प्रक्रिया में घाटी के गांवों कस्बों और संस्थानों के हिंदू मूल के नाम बदल दिए गए। कई हिंदू तीर्थों के नामों में भी परिवर्तन किया गया। कहीं भी हिंदू भावनाओं का ध्यान नहीं रखा गया। घाटी के इतिहास में भी हेरफेर किया जा रहा है। इसको इस्लामी रंग में रंगने के लिए इसकी नई व्याख्याएं की जा रही हैं और इसको पुनः लिखा जा रहा है। कश्मीरी मुसलमान अपने गरिमापूर्ण हिंदू मूल की अवहेलना करते हैं।

इन साज़िशों पर परदा डालने के लिए घाटी की सरकारों ने मक्कारी और धोखे से घाटी की राजनीति में लगातार अनिश्चितता और गड़बड़ी का माहौल बनाए रखा, और कश्मीर के भारत में विलय के मुद्दे को विवादित रखकर अलगाववादी ताक़तों को प्रोत्साहन दिया। राज्य के मुस्लिम नेताओं ने कट्टरतावादी और सांप्रदायिक दलों का पोषण किया और जनमत संग्रह और आत्मनिर्णय की चिल्लपों मचाते रहे जिससे कि केन्द्र सरकार पर दबाव पड़े। जब भी जवाबदेही का समय आया, राज्य सरकार

ने अधिक रियायतें मांगकर केन्द्र सरकार पर धौंस जमाने का अपना प्रिय हथकंडा इस्तेमाल किया। दिखावटी तौर पर रियायतों के पैसे का इस्तेमाल कट्टरतावादी ताकतों को रोकने और दबाने के लिए होता था। इस झगड़े में केन्द्र का अधिकार धीरे-धीरे कम होता चला गया जबकि दिल्ली की सरकारों ने कट्टरतावादियों और अलगाववादियों के सर उठाने पर ध्यान न देते हुए तुष्टीकरण की नीति जारी रखी और हालात को बिगड़ जाने दिया। हिंदू अल्पसंख्यकों के हितों की बलि देकर राज्य में मुस्लिम बहुसंख्यावाद को पनपने दिया गया। हिंदू एक असहाय समुदाय बनकर रह गया क्योंकि हर क्षेत्र में उसे मुस्लिम बहुसंख्यकों की दया पर निर्भर रहना पड़ता था।

हिंदुओं की दृढ़ता

1947 से राज्य की मुस्लिम सरकारों के हाथों पक्षपात के शिकार होने और आगे बढ़ने के अवसर न मिलने के बावजूद हिंदू अल्पसंख्यक डटे रहे। अपनी मजबूरियों को स्वीकार करके, बहुसंख्यक मुसलमानों के साथ एकता और भाईचारे के साथ रहने का यथासंभव प्रयत्न उन्होंने किया। वे 'जियो और जीने दो' के सिद्धांत में विश्वास रखते थे लेकिन दुर्भाग्य से सहअस्तित्व की यह भावना एकतरफा थीं। पूरे देश को राज्य में धार्मिक एकता का जो आदर्श दिखाई देता था वह असल में हिंदुओं की तकलीफों और बलिदानी प्रवृत्ति के कारण था। हिंदू ही राज्य में धर्मनिरपेक्षता की आधारशिला था।

लोगों को पट्टी पढ़ाना

जबकि हिंदू अपने मुसलमान भाई की ओर दोस्ती और सौहार्द का हाथ बढ़ा रहा था, मुसलमान राज्य की प्रगति और विकास में से उसके हिस्से से उसे वंचित करने की योजनाएं बना रहा था। साथ-साथ मुसलमानों को हिंदुओं और भारत के खिलाफ नफरत की पट्टी पढ़ाने के लिए 'मकतबों' (धार्मिक शिक्षा के स्कूलों) और मस्जिदों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि इस्लामी कट्टरतावाद, सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों और अलगाववाद के प्रचार के लिए राजनीतिक मंच का इस्तेमाल भी किया गया। ऐसा सिर्फ कट्टरपंथी दलों के नेताओं ने ही नहीं बल्कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय दलों के प्रतिनिधियों ने भी किया। निजी और सरकारी संस्थान राष्ट्रविरोधी और कट्टरपंथी तत्त्वों से भरे हुए थे और उन्हें सरकार से प्रोत्साहन और सहायता मिलती थी।

इस सब से राज्य में बहुसंख्यक मुसलमानों की जो मानसिकता बनी उससे

अल्पसंख्यक समुदाय पर सीधा असर पड़ा। गुंडों और समाजविरोधी तत्त्वों को कश्मीरी हिंदुओं पर हमला करना आसान लगने लगा। हॉकी, क्रिकेट, एशियाई खेलों या ओलंपिकों में पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी खेल की प्रतियोगिता होती तो चाहे जो भी परिणाम निकलता हिंदुओं को गालियां दी जातीं और उनकी पिटाई की जाती। भारत के स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय दिनों पर हिंदुओं पर पथराव और हमले किए जाते। पाकिस्तान की घटनाओं का भी सीधा असर कश्मीरी हिंदुओं पर पड़ता था। भुट्टो को फांसी दी जाए या ज़िया-उल-हक़ की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए मुसलमानों का गुस्सा हिंदुओं पर ही उतरता था। मध्य पूर्व के दूरदराज़ के देशों में होने वाली घटनाओं के कारण भी कश्मीरी हिंदुओं की पिटाई होती। अरब-इज़राइल युद्ध हो या अल-अक्सा मस्जिद जलाई जाए, घाटी के हिंदुओं को मार खानी ही पड़ती थी। असल में समाज में फैली हुई हर खराबी का आरोप उन्हीं पर लगाया जाता था चाहे वह भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद ही हो जो राज्य के मुसलमान शासकों ने खुद फैलाए। घाटी के प्रशासन और बहुसंख्यक समुदाय ने कश्मीरी हिंदू को बलि का बकरा बना रखा था।

दुष्प्रचार

राज्य में आगे बढ़ने के अवसरों और नौकरियां मिलने में रुकावटों के कारण इस समुदाय ने केन्द्र सरकार के संस्थानों में रोज़गार ढूंढना शुरू किया जहां आम तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं और योग्यता के आधार पर प्रवेश मिलता था। अपनी योग्यता और परिश्रम के कारण यह समुदाय इन क्षेत्रों में बेहतर प्रतिनिधित्व पाने में सफल रहा और मुसलमानों की आंख की किरकिरी बन गया। मुसलमानों के प्रवक्ता केन्द्र सरकार को यह याद दिलाने से कभी नहीं चूके कि मुसलमान उम्मीदवारों के लिए खास तौर पर जगहें बनाई जाएं। सभी पार्टियों के राजनीतिज्ञ भी दुष्प्रचार करने लगे कि केन्द्र सरकार के संस्थानों में कश्मीरी हिंदुओं की संख्या बहुत अधिक है। लेकिन असल में इन नौकरियों में कश्मीरी हिंदुओं का प्रतिनिधित्व केवल 9 प्रतिशत था। फिर भी कश्मीरी हिंदुओं के निर्वासन के बाद देश में मानवाधिकारों के कुछ स्वयंभू संरक्षकों, नेताओं और यहां तक कि मंत्रियों ने भी दुष्प्रचार के इस खेल में आतंकवादियों और उनके समर्थकों के साथ मिलकर भाग लिया और इसे भारत के प्रति मुसलमान युवकों के क्षोभ का एक बहुत बड़ा कारण बताया।

तबाही के आसार

इन वर्षों में कश्मीरी हिंदुओं को तबाही के आसार साफ-साफ नज़र आ रहे

थे। लेंकिन फिर भी बहुसंख्यक मुसलमानों पर उन्हें गहरा विश्वास था। उनके हाथों में हिंदुओं ने अपना भविष्य दे दिया था। हिंदुओं को राज्य की सूफी ऋषि परंपरा में विश्वास था और उसपर वे डटे रहे। वास्तव में यह परंपरा हिंदुओं की धार्मिक सहनशीलता का ही परिणाम थी जिन्होंने घाटी में इन विदेशी प्रभावों को स्थान दिया और उनका सम्मान किया।

लेकिन दुर्भाग्य ही था कि मुसलमानों ने इन भावनाओं का प्रतिदान नहीं दिया। इतिहास के सबसे बड़े विश्वासघात में उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों में कार्यरत हिंदुओं की हत्याएं बेदर्दी से कीं। पूरी तरह से उनकी जड़ें खोद देने में मुसलमानों ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। वर्तमान आतंकवाद 1947 में शुरू हुई एक पूरी जाति का नाश करने की प्रक्रिया की पराकाष्ठा था।

सशस्त्र आतंकवाद की शुरूआत

घाटी में आतंकवाद की शुरूआत 1988-89 में हुई। इसे पाकिस्तान की पूरी सहायता और समर्थन प्राप्त था। 1984 से घाटी के मुसलमान युवक भारी संख्या में सीमा पार जाते रहे हैं और आधुनिकतम हथियारों और गोलाबारूद के साथ तोड़फोड़ करने का प्रशिक्षण लेकर वापस आते रहे हैं। उनकी योजना थी कि जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता को तहस नहस करके घाटी और राज्य के दूसरे मुस्लिम-बहुल इलाकों में इस्लामी धर्मतांत्रिक राज्य स्थापित करें और भारत से अलग हो जाएं। इस योजना के पहले शिकार घाटी के हिंदू अल्पसंख्यक हुए। उन्हें अंधाधुंध गोलियों का शिकार बनाया गया, फांसी दी गई या अन्य क्रूर तरीकों से उनकी हत्याएं की गईं। यातनाओं और बलात्कारों का सिलसिला शुरू हुआ। पत्रों और टेलीफोनों से धमकियां दी जाने लगीं और पोस्टरों, नोटिसों और अखबारों से पूरे हिंदू समुदाय को चेतावनियां दी गईं कि वे बहुत कम निश्चित समय में घाटी छोड़कर चले जाएं। नतीजा यह हुआ कि लगभग पूरे समुदाय को निर्वासित होना पड़ा।

1947 से पहले कई अवसरों पर हिंदू अल्पसंख्यकों का निर्वासन आततायी मुसलमान शासकों के इशारे पर हुआ था लेकिन 1989-90 के वर्तमान निर्वासन की मिसाल विश्व के जनतांत्रिक देशों में कहीं भी देखने को नहीं मिलती। समाज का एक बड़ा हिस्सा धर्मनिरपेक्षता का नाश करने के लिए हथियार उठाता है। वह दूसरे धर्मों को सहन नहीं करता और हिंदू अल्पसंख्यकों का संहार करके उन्हें निर्वासन के लिए मजबूर करता है ताकि वह इस्लामी राज्य की स्थापना कर सके और अंत में मूल देश से अलग हो सके। कश्मीर घाटी के हिंदू अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के शिकार होकर रह गए हैं। इसे

घाटी के प्रशासन की सहायता और समर्थन भी प्राप्त है। भारत जैसे देश में, जो दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है, यह सब होना बेहद अफसोसनाक है। सभी केन्द्र सरकारों ने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया था।

देश की अंतरात्मा सो रही है

आतंकवादियों के इस खुलेआम विद्रोह, तोड़फोड़ और अल्पसंख्यक हिंदुओं के विरुद्ध बेलगाम हिंसा के बावजूद राज्य और केन्द्र सरकार ने कश्मीरी हिंदू के जाति संहार पर परदा डालना शुरू किया ताकि राज्य के धर्मनिरपेक्ष मुखौटे पर दाग़ न लगे। इस समय जबकि इस समुदाय के सदस्य शरणार्थी शिविरों में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, उन्हें धर्मनिरपेक्षता की वेदी पर बलि चढ़ाया जा रहा है। कुछ को छोड़कर सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों, महत्वपूर्ण नेताओं, राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों ने कश्मीरी हिंदू समुदाय के '**मानवाधिकारों के हनन**' और जाति संहार को लेकर चुप्पी साध ली है। यह मानवता के प्रति गंभीर अपराध है। दूसरे समुदायों के धार्मिक नेता भी जानबूझ कर चुप हैं।

जले पर नमक छिड़कना

भारत सरकार की धोखेबाज़ी भी स्पष्ट है। एक तरफ तो यह निर्वासितों को घाटी में अपने घरों को सम्मानपूर्ण भेजने के तरीके ढूंढ लेने का दावा करती है तो दूसरी ओर इसने सभी नियमों का उल्लंघन करके राज्य में केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यालयों में निर्वासित समुदाय के छोड़े हुए पदों पर मुसलमानों की नियुक्ति करके प्रशासन के इस्लामीकरण की प्रक्रिया तेज़ कर दी है। हिंदुओं की छोड़ी हुई जायदाद को लूट और तबाही से बचाने के लिए भी इसने कुछ नहीं किया है। इस समय कश्मीर घाटी धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक भारत में स्थित एक शुद्ध इस्लामी क्षेत्र में बदल गई है, जिसपर बंदूकधारी आतंकवादी राज कर रहे हैं, लेकिन सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय सुरक्षा बल तैनात हैं जिनपर भारी खर्चा होता है।

अपने ही देश में शरणार्थी

यह कश्मीरी हिंदुओं के निर्वासन का चौथा वर्ष है। प्रशासन ने उन्हें एक भला सा नाम दे रखा है 'माइग्रेंट' यानी विस्थापित। लेकिन वास्तव में वे अपने ही देश में शरणार्थी हैं। जब यह 'अल्पसंख्यक समुदाय' आतंकवादियों के हाथों क्रूर अत्याचारों, धमकियों, यातनाओं और हत्याओं का शिकार होकर निर्वासन के लिए मजबूर हुआ तो भारत सरकार इसे सुरक्षा देने में असफल रही। यह भारत सरकार

के चेहरे पर एक काला धब्बा है।

कश्मीर घाटी का मूल निवासी यह विशिष्ट और प्राचीन धार्मिक समुदाय केवल टूटन और बिखराव का शिकार ही नहीं हो रहा है बल्कि उसका अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। वह ऐसे शरणार्थी शिविरों में रह रहा है जो जानवरों के रहने लायक भी नहीं है। ये शिविर प्रकृति की दया पर हैं। कभी वर्षा अपना प्रकोप दिखाती है और कभी हवा इन्हें उड़ा ले जाती है। कड़ाके की गर्मी में तो इन शिविरों में रहना असंभव होता है। यह समुदाय क्रूर, रिश्वतखोर और पूर्वाग्रहों से भरे हुए प्रशासन की दया पर जी रहा है जिससे थोड़ी-सी राहत प्राप्त करने के लिए भी इसे ऐड़ी चोटी का ज़ोर लाना पड़ता है। इस राहत के वितरण के नियम जटिल और दुरूह हैं और समय समय पर बदलते रहते हैं। यह सारी प्रक्रिया काफी तकलीफदेह, लम्बी और अपमानजनक है और भीख मांगने से भी बदतर है। कश्मीरी हिंदू घृणा और अनियमितताओं का शिकार हुआ है जिससे यह साबित होता है कि प्रशासन आत्मसम्मान से भरे हुए इस समुदाय को अपमानित और आहत करने पर तुला हुआ है क्योंकि जो प्रशासन निर्वासन में भी इस समुदाय पर राज कर रहा है, वह उसी शासन व्यवस्था का विस्तार है जिसने घाटी में कश्मीरी हिंदू की त्रासद नियति को आकार दिया। पूरा परिदृश्य, इस शांतिप्रिय समुदाय को बिखेरने और इसे नष्ट करने के क्रूर षड़यंत्र का पर्दाफाश करता है।

जातिभेद

कश्मीरी हिन्दू की स्थिति ऐसी हो गई है कि वह अपने ही भारतवर्ष में बदतरीन जातिभेद का शिकार हुआ है जबकि भारत जातिभेद के खिलाफ युद्ध में अग्रणी रहा है। घाटी से निर्वासित होकर आए कश्मीरी हिंदू समुदाय के साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता और राज्य के सामाजिक, शैक्षिक, कानूनी और प्रशासनिक संस्थानों में जो जातिभेद उन्हें सहना पड़ता है उससे दक्षिण अफ्रीका की अल्पसंख्यक गोरी सरकार को भी राहत मिलेगी कि अत्याचार करने वाली सिर्फ वही नहीं है।

निर्वासित कश्मीरी हिंदुओं के ज़ख्मों पर मरहम लगाने के बजाए उनके साथ अजनबियों का सा व्यवहार किया जाता है। स्कूलों, कालेजों और दूसरे संस्थानों में इन्हें अलग रखा गया है और वे पशुओं की सी स्थिति में रह रहे हैं। निर्वासित बच्चों के लिए जो स्कूल हैं वे तंबुओं में रखे गए हैं। ये तंबू तेज़ हवा से उड़ जाते हैं, बारिश में टपकते हैं और गर्मियों में लू लगने और उससे जुड़ी हुई समस्याओं का प्रकोप होता है। इन स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां अध्यापकों की लोलुप नज़रों के सामने असुरक्षित महसूस करती हैं। इसलिए बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ कर जा

रहे हैं। युवकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया गया है जिससे उनकी शिक्षा के कई वर्ष नष्ट हो गए हैं। जम्मू व अन्य कस्बों में रहने वाले निर्वासित छात्रों के लिए परीक्षाओं का आयोजन अभी भी घाटी का कश्मीर विश्वविद्यालय ही करता है। परीक्षाओं की प्रक्रिया लम्बी और तकलीफदेह हो गई है जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों की सनक पर रुक रुक कर चलती है और डेट-शीट भी समय समय पर बदलते रहते हैं। कई महीनों और यहां तक कि एक वर्ष से रुकी पड़ी परीक्षाएं अभी तक नहीं ली गई हैं। इसी प्रकार परीक्षाओं के परिणामों की घोषणा में भी महीनों लग सकते हैं। निर्वासित छात्र असहाय, कुंठित और हतोत्साहित हो गए हैं।

निर्वासित कर्मचारियों की हालत भी बहुत खराब है। किसी भी जगह पर उनकी नियुक्तियां नहीं हुई हैं। इससे पेशेवर लोगों की योग्यताएं प्रभावित हो रही हैं। घाटी के किसान तंबुओं में तबाह हो रहे हैं। कारोबारी वर्ग को किसी भी तरह की सार्थक सहायता नहीं दी गई है। उन्हें घाटी से बाहर राज्य में किसी स्थान पर छोटा सा कारोबार भी शुरू करने नहीं दिया जा रहा है। राज्य सरकार की नौकरियों में किसी भी कश्मीरी हिंदू की नियुक्ति नहीं हुई है जबकि मुसलमानों के लिए हज़ारों स्थान निकाले गए और उनकी नियुक्तियां की गई। निर्वासित कश्मीरी हिंदू एक ऐसे जाल में फंस गया है जिससे निकलने का रास्ता उसे सूझ नहीं रहा है। एक ओर तो आतंकवादियों ने उसे उसके प्राकृतिक परिवेश में से निकाल फेंका है और दूसरी तरफ निर्वासन के बाद प्रशासन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा है ताकि वह कहीं भी अपने पांव न जमा सके। इन दो पाटों के बीच उसका साबुत बचना बहुत मुश्किल है।

विश्वासघात

निर्वासित कश्मीरी हिंदू समुदाय का मोहभंग हो चुका है और वह इस विश्वासघात को बहुत गहरे महसूस करता है। यह विश्वासघात घाटी के मुसलमानों ने किया है जिनपर कश्मीरी हिंदू को काफी भरोसा था। जब इस समुदाय के सदस्यों को घाटी छोड़कर चले जाने की धमकियाँ दी जा रही थीं, उनका अपमान हो रहा था, क्रूर हत्याएं हो रही थीं, हिंदू समझते थे कि शरीफ और सोच- समझ रखने वाले मुसलमान कुछ कहेंगे। लेकिन शराफत और सोच समझ की वकालत करने वाली आवाज़ें, सहअस्तित्व की हिमायत करने वाली और एक निर्दोष और असुरक्षित अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध हिंसा की निंदा कर सकने वाली आवाजें खामोश रहीं। इस तरह से आम लोगों ने भी सशस्त्र कट्टरपंथियों के हाथों हिंदुओं पर ढाए जा रहे ज़ुल्म को प्रत्यक्ष या परोक्ष स्वीकृति दे दी।

राज्य प्रशासन का विश्वासघात भी इस समुदाय के सामने स्पष्ट है क्योंकि घाटी में या विस्थापन के बाद इस समुदाय की सहायता करने के अपने नैतिक, कानूनी और संवैधानिक उत्तरदायित्व से उसने मुंह मोड़ लिया । इसके विपरीत इसके संहार की प्रक्रिया को उसने चलने दिया ।

केन्द्र सरकार ने जो किया है वह भी किसी से छुपा नहीं है । विलय के चार दशकों के दौरान इस समुदाय ने जम्मू व कश्मीर के निर्माण के लिए जो कड़ा परिश्रम किया केन्द्र ने उसकी तरफ से आँखें मूंद लीं और अब निर्वासित हो चुके इस राष्ट्रवादी और धर्म-निरपेक्ष समुदाय को खुदा के भरोसे छोड़ दिया । असल में केन्द्र सरकार ने घाटी में केन्द्र सरकार के संस्थानों में मुसलमानों के लिए नौकरी के दरवाज़े खोलकर घाटी के मुस्लिमीकरण की प्रक्रिया को तेज़ और एक तरह से पूरा ही कर दिया है ।

अस्तित्व की रक्षा

हिंदू अपने ही देश में शरणार्थी हो गया है जहां उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, उससे भी बुरा जैसा कि भारत ने तिब्बत, बर्मा, बंगलादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के साथ किया है ।

घाटी से आए मुट्ठी भर कश्मीरी मुसलमान शरणार्थियों की तुलना में उसके साथ पक्षपात किया जाता है । ये उन राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं जो अब निरर्थक हो चुकी हैं । इन लोगों को रहने के लिए अच्छे निवास दिए गए हैं । इन्हें शरणार्थियों की हैसियत से पंजीकरण नहीं कराना पड़ता, और न ही आग बरसाते सूरज के नीचे राहत और राशन के लिए लाइन में लगना पड़ता है । विस्थापित होने का सबूत देने के लिए उन्हें दर-दर भटकना भी नहीं पड़ता है । इसके विपरीत सारी नकद राहत और राशन उन्हें अग्रिम दे दिए जाते हैं ।

कश्मीरी हिंदू (पंडित) समुदाय सर के ऊपर एक छत, रोज़गार और शिक्षा प्राप्त करने, और सबसे पहले अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कठिन संघर्ष कर रहा है । अभावों, अपमानों और उत्पीड़न ने इस समुदाय के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कहर ढा दिया है जिसमें कोई कमी होती नज़र नहीं आ रही है । इससे काफी कश्मीरी हिंदुओं की मृत्यु हो गई है । यह समुदाय नष्ट हो रहा है जोकि पूरा देश निर्लिप्त होकर देख रहा है ।

आतंकवादियों की गोलियों से उतने हिंदू नहीं मरे जितने भुखमरी, कुपोषण बीमारियों, और दुर्घटनाओं से मरे हैं । कश्मीरी हिंदू (पंडित) समुदाय बिखर रहा

है और इसका अस्तित्व भी संकट में है। कहीं ऐसा न हो जाए कि लोग भूल ही जाएं कि कश्मीर घाटी कश्मीरी पंड़ितों की थी। इसीलिए वे अपने घर लौटना चाहते हैं, ताकि वे अपनी ज़मीन जोत सकें, अपनी जन्मभूमि की सेवा कर सकें अपने देवताओं और मंदिरों के पास जा सकें। लेकिन सभी रास्ते उनके लिए बंद हैं। उनकी नौकरियां हड़प ली गई हैं, घर जला दिए गए हैं या लूट लिए गए हैं, ज़मीनें तबाह कर दी गई हैं या उनपर कब्ज़ा कर लिया गया है और मंदिर अपवित्र कर दिए गए हैं। जो मुसलमान कभी कश्मीरी पंडित का दोस्त था उसने उसे घाटी से निकाल फेंका है और वह नहीं चाहता कि वह वापस लौट आए। अपनी धार्मिक और जातीय अस्मिता बनाए रखना और गौरवशाली सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखना कश्मीरी पंडित के लिए बहुत कठिन हो रहा है। वह धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, धार्मिक आस्थाओं की स्वतंत्रता, जनतंत्र और राष्ट्रीयता को बचाना चाहता है। इन्हीं सिद्धांतों की वेदी पर घाटी में उसकी बलि चढ़ाई गई और उसे निर्वासित होना पड़ा।

होमलैंड

इसलिए अब इस समुदाय को कोई फैसला करना ही होगा। इसके लिए अब जीवन और मरण का प्रश्न है। इस समुदाय के सामने पहली बार यह कठोर सत्य उजागर हुआ है कि इसे अपने बूते पर खड़ा होना है, उन बेड़ियों को तोड़ देना है जिन्होंने उसे जकड़ रखा है ताकि वह अपने महान आदर्शों का पुनर्निर्माण करके उन्हें फिर से स्थापित कर सके। तभी वह सम्मान से जीवित रह पाएगा। कश्मीरी पंडित समुदाय के किसी भी विचारधारा से जुड़े, प्रत्येक व्यवसाय के सदस्यों ने होमलैंड प्रस्ताव को एकमत से स्वीकार किया। यह प्रस्ताव 'पनुन कश्मीर' ने दिसम्बर 1991 में 'मार्गदर्शन अधिवेशन' में रखा था। तब पहली बार इस समुदाय की इच्छाएं और आकांक्षाएँ राजनीतिक मांगों के रूप में उभरीं। इसलिए एक अलग 'होमलैंड' की यह मांग अपनी खोई हुई जन्मभूमि में अपना खोया हुआ सम्मान और गरिमा पुनः प्राप्त करने की कश्मीरी हिंदुओं की हार्दिक इच्छा और दृढ़ संकल्प को रेखांकित करती हैं। कश्मीर घाटी में वह निरंतर उत्पीड़न, संहार और निर्वासन के बावजूद पिछले पांच हज़ार वर्षों से रह रहा है और इसी घाटी में वह अपनी पहचान वापस पा सकता है। यह समुदाय **मुस्लिमीकृत सरकारी तंत्र** के हाथों पक्षपात, दमन और उत्पीड़न के माहौल में वापस नहीं जाना चाहता है इसलिए होमलैंड की मांग अनिवार्य हो जाती है। सरकार के हाथों ये तकलीफें तो वह पिछले चालीस वर्षों से सह ही रहा था, अब घाटी पर बंदूकधारी धार्मिक कट्टरपंथी शासन कर रहे

हैं जिनके कारण, कश्मीरी हिंदू ने बेइंतहा घुटन और आतंक सहा है और वह उनकी गोलियों का शिकार भी हुआ है।

कश्मीरी पंडित शांति, सौहार्द और भाईचारे से रहना चाहते हैं। राज्य के संवैधानिक और राजनीतिक ढांचे को प्रभावित करने वाली किसी भी बातचीत, फैसले और परिवर्तन में भागीदारी के अपने अधिकार के लिए वे संघर्ष करेंगे। यह संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक उन्हें अपनी जन्मभूमि पर अपना उचित अधिकार नहीं मिलता।

❃ ❃ ❃

4

होमलैंड क्या है ?

होमलैंड एक ऐसा स्थान, क्षेत्र या देश है जो वहां के निवासियों का अपना हो, और वहां रहने वाले लोग या समुदाय अनिवार्यतः वहीं के रहने वाले हों। उसी क्षेत्र में उनका जन्म हुआ हो और वे सदियों, युगों से वहां के वातावरण में पले बढ़े हों यानी वह क्षेत्र प्राकृतिक तौर पर उनका अपना हो। कोई समुदाय जितने अधिक समय तक किसी स्थान पर रहता है, उसकी जड़ें उतनी ही गहरी और व्यापक होती हैं और उस स्थान से उसका लगाव भी उतना ही गहरा होता है। इसलिए उस स्थान को अपना बनाए रखने और इसकी अखंडता की रक्षा करने का उसका संकल्प भी दृढ़ होता जाता है। कई पीढ़ियों के बाद उस क्षेत्र के साथ उस समुदाय का शारीरिक, भावनात्मक और आत्मिक संबंध बन जाता है। जैसे एक ही घर में रहने से लोगों को अपनत्व का एहसास होता है, अपनी जड़ों, अस्मिता और सुरक्षा का एहसास होता हैं, वैसे ही होमलैंड में रहकर भी आदमी स्वयं को फलता फूलता हुआ महसूस करता है। घर और इसके सदस्यों को अलग नहीं किया जा सकता और यह संबंध सदस्यों की कुरबानियों से पवित्र बनता है। इतिहास इसको सुदृढ़ बनाता है और समय गुज़रने के साथ इसे प्रतिष्ठा मिलती है।

5

होमलैंड के लिए हम किस इलाके की मांग करते हैं और क्यों ?

होमलैंड के बारे में सोचते हुए ज़मीन के एक ऐसे हिस्से को ध्यान में रखना जरूरी है जिस पर एक समुदाय का हर दृष्टि से अधिकार हो । इसलिए कश्मीर घाटी में ही निर्वासित कश्मीरी पंड़ितों के लिए होमलैंड की कल्पना करनी होगी ।

हमने जेहलम नदी के उत्तर और पूर्व के इलाके की मांग की है । हमारे दावे को स्वीकार करने के लिए घाटी का विभाजन करना होगा । जेहलम नदी एक प्राकृतिक भौगोलिक विभाजक है और इसलिए यह होमलैंड और शेष घाटी के बीच सीमारेखा बन जाएगी । जेहलम नदी के उत्तर और पूर्व वाले, घाटी के दक्षिणी क्षेत्र में हमारे ज्यादातर पवित्र तीर्थस्थान, और पवित्रतम तीर्थ अमरनाथ की गुफा भी है। यही वह क्षेत्र है जिसमें से होकर राष्ट्रीय राजमार्ग गुज़रता है । इलाके की उपयुक्तता और जनसंख्या के आधार पर संघ शासित प्रदेश के दर्जे वाले होमलैंड की स्थापना के लिए यह स्थान सबसे उपयुक्त हैं ।

❋ ❋ ❋

6

जब सारी घाटी हमारी है तो होमलैंड के लिए अलग क्षेत्र क्यों ?

हाँ, असल में पूरी घाटी ही हिंदू समुदाय का 'होमलैंड' है। इतिहास गवाह है कि कश्मीरी हिंदू ही घाटी के मूल निवासी हैं। इस समुदाय का हर सदस्य अपने दिल में चाहता है कि घाटी में स्थिति सामान्य हो जाए जिससे वह अपने घरों को लौट सके। लेकिन हालात को देखते हुए हमें सबकुछ साफ-साफ कह देना चाहिए। हम हाल की घटनाओं के यथार्थ और मजबूरियों को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते जो 45 वर्षों से चले आ रहे कश्मीर में व्यापक इस्लामीकरण का परिणाम है। अब बंदूक-संस्कृति का बोलबाला है। इस्लामी राज्य की स्थापना करके इसे भारत से अलग करने के लिए हिंसा हो रही है। सत्ता के इस नए समीकरण में, पुरानी व्यवस्था जो काग़ज़ों पर तो धर्मनिरपेक्ष दिखाई देती थी और वास्तव में पक्षपाती, बहुसंख्यावादी, कट्टरतावादी और इस्लामी थी, के स्थान पर एक नई व्यवस्था आ गई है जो खुलेआम आतंकवाद, सांप्रदायिक घृणा और बदले की भावना के लिए प्रतिबद्ध है। इस व्यवस्था के अग्रदूतों के साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार ने अपने दरवाज़े खुले रखे हैं और वह पहले से अधिक स्वायत्तता देने के लिए भी तैयार है। यह सब धर्मनिरपेक्ष भारत में कश्मीर नाम का इस्लामी राज्य स्थापित करने के बराबर है। और इस नई व्यवस्था में हिंदू का क्या स्थान है ? घाटी के आतंकवादी संगठनों में जो सत्ता चलाने वाले हैं उन सभी का उद्देश्य निश्चित है कि इस्लामी कानून के अनुसार सरकार चलाई जाए और भारतीय गणतंत्र से अलग हुआ जाए। इस कानून के अनुसार गैर-मुस्लिमों को दूसरे दर्जे की नागरिकता पर ही संतोष करना होगा और 'शरीयत' के नियमों के अनुसार भारी कर (जज़िया) देने पड़ेंगे। उन्हें मताधिकार से भी वंचित होना पड़ेगा। इस छोटे से समुदाय के लिए इस्लाम धर्म कबूल करने की प्रेरणाओं, प्रलोभनों और दबावों का प्रतिरोध करना बहुत कठिन होगा। इस्लामी प्रभुत्व के कारण पहले ही हिंदुओं की भाषा और संस्कृति में घुसपैठ हो चुकी है। हिंदुओं के रोज़मर्रा के सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यकलापों और आम बातचीत के अर्थ पर प्रभाव पड़ चुका है जो मुसलमानों से बिल्कुल अलग होते थे। सशस्त्र कट्टरपंथी निश्चित रूप से घाटी को मध्ययुगीनता और रुढ़िवादिता की ओर ले जा रहे हैं जिसके बोझ तले हिंदुओं की पहचान धीरे-धीरे

मिटती चली जाएगी और आखिरकार खत्म ही हो जाएगी। निर्वासन से पहले कश्मीरी हिंदू समुदाय घाटी में इधर-उधर बिखरा हुआ था जिससे विधानसभा या संसद में इसे कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता था। इसी लिए वह आतंकवादियों के हमले का प्रतिरोध भी नहीं कर पाया। यदि इस समुदाय को फिर से इसी तरह बसाया गया तो इसके जानोमाल की सुरक्षा की क्या गारंटी होगी ? वर्तमान व्यवस्था, जैसी कि वह 1989 से पहले थी, हिंदू के अस्तित्व के लिए कितनी खतरनाक और नुकसानदेह थी कहने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बदली हुई परिस्थितियों में हम उसके अस्तित्व के बने रहने की आशा कैसे कर सकते हैं। इस समय जो नई ताकतें उभरी हैं, वे राज्य की परंपरागत राजनीति को, चाहे वह जैसी भी थी, नष्ट करके पूरी तरह हावी हो जाएंगी। पहले के ही शातिर राजनीतिबाजों को फिर से राजनीति में लाने की कोशिशें हो रही हैं। इन्होंने ही कश्मीर और हिंदुओं को आज की अफसोसनाक स्थिति में पहुंचाया है। धर्मतांत्रिक देश पाकिस्तान से प्रेरणा और सहायता प्राप्त करने और उन्हीं का हुक्म मानने वाले सशस्त्र मुसलमान युवकों और उनके संरक्षकों को भी सत्ता में लाने की तैयारियां हो रही हैं। क्या ऐसे हालात में भविष्य की ओर देखने वाले, आधुनिक सोच वाले धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक कश्मीरी हिंदू समुदाय को जीने और फलने फूलने दिया जाएगा ? दिल्ली में केन्द्र सरकार और सत्ता के गलियारों में घूमने वाले अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सोच को देखा जाए तो आतंकवादियों को संतुष्ट करने और उन्हें बातचीत के लिए राज़ी करने के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य को कोई भी रियायत देने के प्रयत्न हो रहे हैं। केन्द्र सरकार संवैधानिक ढांचे के भीतर राज्य को आज़ादी देने के लिए तैयार लगती है, उसका मतलब चाहे कुछ भी हो।

इस सच्चाई को कोई नहीं नकार सकता कि केन्द्र सरकार ने घाटी में अपने कार्यालयों के ज्यादातर कर्मचारियों को वहां से निकाल दिया है और उनके स्थान पर मुसलमानों की नियुक्ति कर दी है। राज्य सरकार के कार्यालयों और संस्थानों में तो पहले ही निर्वासित हिंदू कर्मचारियों के छोड़े हुए पदों पर मुसलमान लगा दिए गए हैं। नागरिक संस्थानों से भारत का नामोनिशान पहले ही मिट चुका है और घाटी में भारत अब केवल सेना और अर्द्धसैनिक बलों के रूप में ही दिखाई देता है। अगर घाटी में इस्लामी राज्य बनाने की इजाज़त दे दी जाती है और अधिक स्वायतता भी मिल जाती है तो इसका मतलब यही होगा कि भारत के अंदर एक धर्मतांत्रिक राज्य की स्थापना पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई है। इसके बाद हिंदू के लिए क्या रह जाएगा ? वह कहां जाएगा ? उसके मकानों, जायदाद और नौकरियों का क्या होगा ? अपने खिलाफ घृणा और असहनशीलता का संगठित

अभियान वह कैसे सह पाएगा ? उस शरीफ और स्नेही मुसलमान की हम दर्दी वह कैसे प्राप्त करेगा जो हमेशा ही उसका संबल रहा है और जो अब सशस्त्र आतंकवादियों के दृष्टिकोण और उनकी धार्मिक और राजनीतिक विचारधारा से जुड़ गया है। अपनी कम संख्या और साधनों के चलते कश्मीरी हिंदू आतंकवादियों और उनके प्रवक्ताओं के दुष्प्रचार का जवाब कैसे देगा जो कि देश के कोने कोने में 'गोयबेल्स' की तरह यह झूठ दोहराते फिर रहे हैं कि हिंदुओं ने राज्य में सभी नौकरियां हथिया ली हैं? अपने विनाश की इस प्रक्रिया को वह कैसे रोकेगा जो आतंकवादियों और राज्य एवं केन्द्र सरकार में उनके हमदर्दों ने शुरू की है ? केन्द्र सरकार भी राज्य के मुसलमान नेताओं और उन शातिर राजनीतिज्ञों की सलाह पर चलती है जो भारत के संविधान की कसम खाते हैं लेकिन इसको मलियामेट करने के लिए काम करते हैं। अब किसी को संदेह नहीं रह गया है कि इन राजनीतिज्ञों को आतंकवादियों के उद्देश्यों से सहानुभूति है और ये भारत सरकार पर दबाव डाल रहे हैं जिससे वह यह स्पष्ट कर दे कि वह जम्मू व कश्मीर राज्य को किस हद तक स्वायत्तता देने के लिए तैयार है। इनमें से कुछ, जिनमें राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री भी हैं आंतकवादियों की आत्मनिर्णय की मांग के पक्ष में खुलेआम बोलते हैं। कश्मीरी हिंदू चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है कि घाटी में अप्रासंगिक हो चुके इन राजनीतिबाज़ों पर विश्वास करना व्यर्थ है। कि उनकी सलाह लेकर और उनपर विश्वास करके केन्द्र सरकार भयंकर गलती कर रही है और राज्य के हालात को और भी खराब कर रही है। पिछले चार दशकों से भारतीय धर्मनिरपेक्षता का झंडा ऊँचा रखने वाले कश्मीरी हिंदू की उपेक्षा करके और उसे बदनाम करके केन्द्र सरकार देश का कोई हित नहीं कर रही है। कश्मीर की समस्या के अंतिम समाधान को लेकर किसी भी कार्रवाई से कश्मीरी हिंदू को अलग नहीं रखा जा सकता। कश्मीर पर भारत की पकड़ और दावे को पुनः स्थापित करने में उसे महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है क्योंकि उनके घाटी छोड़ देने से सरकार ने यह संकेत दिया है कि उसकी रुचि केवल अपने इलाके को बचाने में है, देशभक्त नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने में नहीं। समस्या का समाधान कश्मीरी हिन्दू के बिना नहीं हो सकता और यदि उसकी उपेक्षा की गई तो भारत सरकार 'एकता में अनेकता' के अपने सिद्धांत का मज़ाक उड़ाती नज़र आएगी। केवल मुसलमानों की ही नहीं, बल्कि अपने सभी नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करने की उसकी कसमें धारी की धरी रह जाएंगी।

इन सभी समस्याओं ने कश्मीरी हिन्दू को चक्कर में डाल रखा है। इस भूलभुलैया से निकलना उसे बहुत कठिन लगता है। पिछले 45 वर्षों के उत्पीड़न और बेलगाम आतंकवादी हिंसा के हमले को वह कभी भूल नहीं सकता। इसलिए वह एकमात्र

सच्ची, उचित और सकारात्मक मांग करके घाटी में अपने उन अधिकारों का दावा करता है जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर घाटी के एक ऐसे हिस्से की मांग की गई है, जहां कश्मीरी हिन्दू वापस जा सके और धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक भारतीय नागरिक के रूप में बस सके। यह एक केन्द्र शासित प्रदेश होगा और भारत सरकार यहाँ 'रोशनी की उस किरण' के बारे में फिर से सोच सकेगी जिसके बारे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बताया था। धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का जो प्रयोग घाटी में असफल हुआ यहां सफलता के आश्वासन के साथ फिर से उसकी परीक्षा की जा सकती हैं, क्योंकि यहां उसका संचालन इस आस्था के सच्चे उपासक करेंगे।

एक बार भारत सरकार ने निर्वासित हिंदुओं को घाटी में सुरक्षित क्षेत्र उपलब्ध कराने की बात करके बहलाना चाहा था। इसका स्वरूप क्या होगा यह कभी स्पष्ट नहीं किया गया। यह एक दूसरे के निकट स्थित गांवों या कस्बों का समूह होगा जिस पर आबादी, आर्थिक महत्व और सुरक्षा के लिहाज़ से विचार किया जाएगा या कुछ और, किसी ने कुछ नहीं बताया। इससे निर्वासितों को 'होमलैंड' दे देने का रास्ता साफ हो सकता था। हमारी मांग है कि उस विचार को ठोस शक्ल दी जाए और निर्वासित कश्मीरियों के लिए होमलैंड को उचित आकार दिया जाए।

❀ ❀ ❀

7

निर्वासित समुदाय का होमलैंड पर क्या अधिकार है ?

दैवीय हस्तक्षेप से घाटी के जन्म और एक विशाल झील में से इसे उभारने के समय से कश्मीरी हिन्दू घाटी का मूल निवासी है । यहां लगातार रहने का उसका 5000 वर्षों से अधिक का इतिहास है । प्राचीन भारत का पहला ऐतिहासिक दस्तावेज़ 'राजतरंगिणी' एक कश्मीरी पंडित '**कल्हण**' ने लिखा है । इसमें हिन्दू राजाओं के शासन और घाटी में गौरव शाली सांस्कृतिक परंपराओं के स्थापित होने का रोचक वृत्तांत दिया गया है । **मार्तण्ड** और पट्टन के **परिहासपुर** और कंगन के **नाराननाग** जैसे मंदिरों के खंडहरों और श्रीनगर शहर के बाहर **बुर्ज़हामा** के खंडहरों से वास्तुकला की उपलब्धियों का पता तो चलता ही है, लोगों के धार्मिक विश्वासों और गतिविधियों की जानकारी भी मिलती है । इतिहास, कला, वास्तुकला, गणित, खगोल शास्त्र, धर्मशास्त्र, दर्शन, काव्यशास्त्र का निर्माण हमारे ही पूर्वजों ने किया । प्राचीन काल में कश्मीर विद्या का गढ़ था । अनंतनाग में बिजबिहाड़ा के निकट एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था जहाँ संसार के हर भाग से विद्या प्राप्त करने और संस्कृत, भाषा, साहित्य और दर्शन का अध्ययन करने के लिए विद्यार्थी आते थे । 1889 में लारेंस ने लिखा था, "कश्मीर घाटी हिन्दुओं की पवित्र भूमि है और शायद ही कोई गांव होगा जिसमें कोई प्राचीन अवशेष न हो ।"

आधुनिक कश्मीर अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अपनी सूफी ऋषि परंपरा, अपनी भाषा और अपनी विशिष्ट 'कश्मीरियत' के लिए हिन्दुओं का ऋणी है । हिन्दुओं ने ही कश्मीरियत की नींव डाली और सदियों तक दूसरी संस्कृतियों का मिश्रण होने के साथ साथ इसको सुदृढ़ किया । उन्होंने संसार को सुस्पष्ट और व्यावहारिक रूप में शैव दर्शन दिया। ऐसी विशिष्ट और गरिमापूर्ण सांस्कृतिक, जातीय और धार्मिक पृष्ठभूमि के वारिस इस समुदाय में काफी कुछ भारत की शेष हिन्दू संस्कृति के समान होने के बावजूद उसकी अपनी विशिष्टताएँ हैं । अल्पसंख्यक होने के बावजूद उसका कर्त्तव्य बनता है कि वह अपनी विशिष्ट विरासत को बचाए, अपनी जड़ों की रक्षा करे, अपनी अस्मिता पर ज़ोर दे और धार्मिक राजनीतिक और सामाजिक स्वतंत्रता तथा अधिकारों की मांग करे । वह शांतिप्रिय और सहनशील है । आतंकवादी हिंसा का जवाब देने के लिए उसने हथियार नहीं उठाए हैं । वह

चुपचाप सबकुछ सहता रहा है क्योंकि वह अत्याचारी बहुसंख्यकों की दया पर जीने वाला अल्पसंख्यक है । लेकिन अब सभ्य देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को मान्यता दे दी गई है । जून 1992 में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की रूपरेखा देते समय संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अल्पसंख्यकों के अटल अधिकारों को परिभाषित करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहस का आयोजन करने और इसका एक घोषणापत्र महासभा के सामने प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखा । कश्मीरी हिन्दुओं की मातृभूमि भारत को कश्मीरी हिन्दू के अधिकारों को सबसे पहले मान्यता देनी होगी । अपने होमलैंड का उचित अधिकार और हिस्सा उसे देना होगा । यहीं भारत की परीक्षा होगी, इसकी 'एकता में अनेकता' की परीक्षा होगी, और यह पता चलेगा कि यहां हर समुदाय को कितनी सुरक्षा दी जाती है और हर जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक के अधिकारों और आकांक्षाओं को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ होता है । भारत को अपने ही देशवासियों और विश्वबिरादरी के सामने यह साबित करना होगा कि वह कश्मीरी हिन्दुओं की इच्छाओं, आकांक्षाओं और अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है । भारत सरकार पूर्ण अलगाव से थोड़ा कम स्तर पर आतंकवादियों और इस्लामी कट्टरपंथियों की मांगें मानने के लिए तैयार है । इसे कश्मीर घाटी के अपने उन शांति प्रिय और धर्मनिरपेक्ष नागरिकों को 'होमलैंड' देना ही होगा जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीयता की वेदी पर अपनी जानें कुरबान कर दीं ।

❀ ❀ ❀

8

कुल मिलाकर होमलैंड प्रदान करने का क्या अर्थ होगा ?

अपने प्राकृतिक परिवेश में अल्पसंख्यक कश्मीरी हिन्दुओं को 'होमलैंड' प्रदान करने से नैतिक स्तर पर उनके अटल अधिकारों को मान्यता मिलेगी। व्यापक संदर्भ में कश्मीर की जटिल समस्या के लिए यह एकमात्र स्थायी समाधान होगा। इससे केवल घाटी के हिन्दुओं और अल्पसंख्यकों को ही होमलैंड नहीं मिलेगा बल्कि जम्मू व कश्मीर राज्य के अन्य जातीय और क्षेत्रीय समुदायों की संवेदनाओं और प्रवृत्तियों को भी स्वीकृति मिलेगी। जब से कश्मीर में उग्रवाद की शुरूआत हुई है जम्मू व कश्मीर को अधिक स्वायत्तता देने की बहस में तेज़ी आई है। पूरे भारत में अपने हमदर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घाटी में सभी राजनैतिक विचारधाराओं के मुसलमान नेता स्वायत्तता के अनिवार्य होने का विश्वास केन्द्र सरकार को दिलाने के लिए ऐड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे हैं। स्वायत्तता की हदों की बात करते समय वे केन्द्र सरकार से अधिकतम रियायतें प्राप्त करने पर ही ज़ोर देते हैं। आतंकवादी संगठनों को बातचीत के लिए राज़ी करने के लिए भी केन्द्र सरकार में काफी गतिविधियां हो रही हैं। दुर्भाग्य से राज्य को अधिक स्वायत्तता देने का अर्थ और इससे मिलने वाले संकेत केन्द्र में सत्तारूढ़ लोगों की समझ में नहीं आते। इसका मतलब यही होगा कि जम्मू व कश्मीर को भारत के नक्शे पर रखने के लिए इस राज्य को तश्तरी में रखकर इस्लामी कट्टरतावादियों और आतंकवादियों को समर्पित कर दिया जाए। इससे अलगाववादी ताकतें और भी मज़बूत होंगी। यह कीमत देकर बाकी देश के लिए एक भ्रामक शांति तो खरीदी जा सकेगी लेकिन इतना तय है कि आतंकवादियों को भारत से अलग होने के लिए आखिरी हमला करने के लिए संगठित होने का समय मिल जाएगा।

राज्य के दूसरे धार्मिक, जातीय और भौगोलिक समुदायों के अधिकार कुचले जा रमाधान होगा से हे हैं। इस तरह राज्य के सभी हिस्सों में रहने वाले सभी समुदायों में खलबली पैदा करने के लिए ज़मीन तैयार की जा रही है। जम्मू के लोग काफी समय से यह महसूस करते आ रहे हैं कि 1947 से सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए कश्मीरी मुसलमानों के हाथों उन्हें उपेक्षा सहनी पड़ी है और विकास और सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्हें सत्ताधिकार और विकास में उनका हिस्सा

नहीं दिया गया है और सभी क्षेत्रों में उनकी अवहेलना की गई है। जम्मू के लोगों में अंदर ही अंदर क्रोध और असंतोष उबल रहा है। जम्मू के लिए स्वायत्त क्षेत्रीय काउंसिल की मांग बार-बार की जाती रही है। राज्य के मुसलमान शासकों के हाथों पक्षपात से बचने के लिए लद्दाख के लोग भी संघ सासित प्रदेश के दर्जे वाले क्षेत्र के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। असल में केन्द्र सरकार ने लद्दाखियों को हिल काउंसिल लगभग दे ही दी थी लेकिन घाटी के एक भूतपूर्व मुसलमान संसद सदस्य के हस्तक्षेप के कारण ऐन मौके पर इसे रोक लिया गया।

इन सभी बातों को देखते हुए राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं और केन्द्र सरकार के कुछ नेताओं ने समस्या को सुलझाने के लिए जम्मू व कश्मीर राज्य के तीन हिस्से कर देने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन राज्य के तीन हिस्से कर देने से जम्मू और देश के अन्य भागों में पिछले तीन वर्षों से रह रहे कश्मीरी हिन्दू शरणार्थियों की समस्या हल नहीं होगी। वे इन जगहों पर मेहमान हैं, ऐसे मेहमान जो ज्यादा ही देर तक रुक गए हैं। वे घाटी में अपने घरों को लौटना चाहते हैं लेकिन वहां वे अवांछित हैं। वे मृत्यु के भय से घर छोड़ कर भागे थे। घाटी के लोगों और खासकर आतंकवादियों ने उन्हें धमकी दी थी कि वापस घरों को लौटे तो मार डाले जाएंगे। इसलिए कश्मीरी हिन्दुओं को होमलैंड प्रदान करना ही कश्मीर समस्या का स्थायी हल है। यदि 80,000 लद्दाखी बौद्धों को एक हिल काउंसिल दी जा सकती है तो 7 लाख कश्मीरी हिन्दुओं को होमलैंड क्यों नहीं दिया जा सकता ? इसलिए जम्मू व कश्मीर राज्य के सभी क्षेत्रों, सभी धर्मों और जातियों से संबद्ध समुदायों की इच्छाओं, आकांक्षाओं और अधिकारों को स्थान देने के लिए राज्य को तीन नहीं चार हिस्सों में पुर्नगठित किया जाना चाहिए।

❀ ❀ ❀

9

होमलैंड की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी होगी ?

होमलैंड निश्चित रूप से जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, विचारों के आदान प्रदान, व्यापार और संस्कृति, जीवन और काम करने के अधिकार, सभी स्त्री-पुरुषों के लिए न्याय और समता के आदर्शों और उद्देश्यों में योगदान देगा। यह किसी भी सूरत में धर्मतांत्रिक नहीं होगा। यह भारत के संविधान को सच्चे अर्थों में अपनाएगा और जम्मू व कश्मीर राज्य और शेष भारत के सभी प्रदेशों और क्षेत्रों के साथ सौहार्द और भाई चारे से रहेगा।

❃ ❃ ❃

10

यह कैसे माना जाए कि होमलैंड की मांग राष्ट्र के हित में है और इससे देश के टुकड़े नहीं होंगे ?

होमलैंड के लिए हमारा यह संघर्ष राष्ट्र के सर्वोच्च हित में है। कश्मीर पर अपना अधिकार और वहां अपना घरबार, ज़मीनें और नौकरियां खोकर चुपचाप बैठे रहना पूरी तरह से राष्ट्रविरोधी होगा। जो हमसे छीना जा चुका है यदि उसके हिए हम आवाज़ न उठाएं; यदि हम उस कश्मीर घाटी को लेकर चुप बैठे रहें जिसे धर्मनिरपेक्ष भारतीय गणतंत्र के भीतर एक धर्मतांत्रिक इस्लामी राज्य के रूप में सड़ने दिया जा रहा है; यदि हम इस बात की तरफ से आँखें मूंद लें कि इस इस्लामी राज्य की सीमाओं की सुरक्षा भारतीय सेना कर रही है और आतंकवादी वहां की व्यवस्था 'शरीयत' के कानून के अनुसार चला रहे हैं, जिसे अब ज़ोर शोर से लागू किया जा रहा है तो अपनी जन्मभूमि इन कट्टरपंथियों के हाथों में देकर हम अपने देश का सबसे बड़ा अनिष्ट करेंगे। भारत की सरकारों ने कश्मीर घाटी को राजनीति की प्रयोगशाला मानकर यहां धर्मनिरपेक्षता और जनतंत्र का प्रयोग किया था। इस प्रयोग की भयंकर असफलता के लिए इन्हें कभी माफ नही किया जा सकता। धर्मनिरपेक्षता के महानतम हिमायती और निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी इस प्रयोग की सफलता में संदेह था। 26 जुलाई 1962 को श्री प्रेमनाथ बज़ाज़ को एक पत्र में उन्होंने लिखा था, "कश्मीर के साथ वास्तविक समस्या यह है कि शेष भारत के साथ यह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में बना रहेगा या नहीं। इससे सारे भारत पर असर पड़ता है क्योंकि भारत में भी धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद उतनी मज़बूत नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। कश्मीर में जो कुछ भी होगा उससे विशाल मुस्लिम आबादी वाले शेष भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा।"

भारत का कश्मीर पर विशेष अधिकार है क्योंकि यह भारत की भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुख्यधारा का एक हिस्सा रहा है। इसका भूराजनैतिक महत्व भी है क्योंकि यह कई संस्कृतियों, धार्मिक, राजनीतिक और भौगोलिक इकाइयों से जुड़ा हुआ है। यह मध्य एशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और अफ़गानिस्तान को छूता है। पाकिस्तान, ईरान और अफ़गानिस्तान से हो रहे सर्व-इस्लामी विस्तार के खिलाफ अवरोध बन कर इसे डटे रहना है। भारतीय मैदानों को पार करते हुए, पूर्वी सीमाओं के उस तरफ बंगलादेश, मायनमार, मलेशिया इत्यादि से मिल जाने की इच्छा रखने वाले, मध्य एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से निकल कर आगे बढ़ रहे इस्लामी धक्के को, भारत के अटूट हिस्से के रूप में कश्मीर ही रोक सकता है। देश के टुकड़े होने से रोकने का एक ही रास्ता

है कि घाटी के जितने भी क्षेत्र में संभव हो सके, धर्मनिरपेक्ष और जनतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम रखी जाए और प्रतिबद्ध धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी लोगों को उनकी अपनी जन्मभूमि में रहने दिया जाए । हम चाहते हैं कि घाटी के कम से कम इस हिस्से का तो भारत के साथ पूर्ण विलय हो जाए ।

केन्द्र और राज्य सरकार पर बेहद दबाव पड़ रहा है कि वे लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को मान्यता देकर उनकी क्षेत्रीय अस्मिताओं और अधिकारों की सुरक्षा के लिए छोटे-छोटे राज्यों का निर्माण करें । बोडोलैंड, झारखंड, गोरखालैंड आदि के लिए बातचीत चल रही है । इन लोगों को न तो उत्पीड़न और सांप्रदायिक पक्षपात सहने पड़े हैं और न ही आतंकवादियों की गोलियों का शिकार होना पड़ा है । उन्हें अपनी जन्मभूमि को छोड़कर भागना भी नहीं पड़ा है । फिर भी केन्द्र सरकार उनकी मांगों पर विचार करने और इनको कुछ हद तक पूरा करने के लिए भी तैयार है । निर्वासित कश्मीरी हिन्दुओं की स्थिति इन सब क्षेत्रों के लोगों से बहुत खराब है । वे न सिर्फ अभाव, पक्षपात, दमन और उत्पीड़न के शिकार हुए हैं बल्कि अपनी अस्मिता खोने का भय भी उनपर हावी है । वे जड़ से उखाड़ दिए गए हैं, क्रूरतापूर्वक मार डाले गए हैं और अपनी भूमि से निर्वासित कर दिए गए हैं । इसलिए अपनी भूमि पर इनका दावा और उस क्षेत्र के शेष भारत में पूर्ण विलय की मांग स्वाभाविक और उचित है । हमारा देश जोकि विभिन्न राज्यों का समूह है उसमें कश्मीरी हिन्दुओं के अपनी जन्मभूमि पर दावे का काफी महत्व है । पर यदि भारत सरकार राज्य को किसी भी प्रकार की स्वायत्तता देने के लिए तैयार है जो एक तरह से इस्लामी राज्य को मान्यता देने के बराबर है, तो यह देश के हित में होगा कि घाटी का एक देशभक्त हिस्सा अपने साथ रख लिया जाए । यह एक ऐसा हिस्सा होना चाहिए जिस पर होमलैंड के रूप में धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक कश्मीरियों का अधिकार हो । इस्लामी कानून वाली घाटी के अंदर या उसके साथ ही यह वास्तविक जनतंत्र वाला एक क्षेत्र होगा जहां भारत का संविधान सच्चे अर्थों में लागू होगा ।

7 लाख कश्मीरी हिन्दुओं को होमलैंड प्रदान करना विस्थापित कश्मीरियों की समस्या का एकमात्र तार्किक, प्राकृतिक और स्थायी समाधान होगा । जिस कश्मीर घाटी से मुसलमान आतंकवादियों ने हमें बाहर खदेड़ दिया हैं उसके भीतर एक होमलैंड की मांग से हम अपने अधिकारों पर तो ज़ोर देते ही हैं अपनी देशभक्ति का सबूत भी देते हैं । पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को भड़काता रहा है और इसे सहायता भी देता रहा है । भारत को हिचकिचाहट छोड़कर, निर्वासित कश्मीरी हिन्दुओं को उनके होमलैंड में बसाने के संकल्प की स्पष्ट घोषणा करनी चाहिए । इस होमलैंड से एक तरह से इस्लामी राज्य बन चुके कश्मीर में जनतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का एक गढ़ बन जाएगा ।

11

निर्वासित कश्मीरी हिन्दुओं के लिए होमलैंड की मांग करके और विश्व-बिरादरी से अपील करके क्या हम कश्मीर समस्या को अंतर्राष्ट्रीय अहमियत दे रहे हैं?

मुसलमान कट्टरपंथी आतंकवादियों के हाथों कश्मीरी हिन्दुओं के मानवाधिकारों के हनन और जातिसंहार को लेकर विश्व-बिरादरी की आंखें खोलने के लिए हमने अपील की है। विश्व भर के नेताओं से मिलकर और उनसे बातचीत करके, दूसरे देशों में अपने दूतावासों और संचार माध्यमों से विश्व को असलियत बताने के लिए जो कुछ भारत सरकार को करना चाहिए था इस समय हमें करना पड़ रहा है।

कश्मीरी हिन्दू के खिलाफ भारी दुष्प्रचार किया जा रहा है। आतंकवादियों का मुकाबला करने वाले सुरक्षा बलों की तथाकथित ज्यादतियों का ढिंढोरा विश्व-भर में पीटा जा रहा है। जबकि घाटी के हिन्दुओं की हत्याओं, उन पर ढाए गए जुल्मों, उन्हें दी गई यातनाओं और उनके विस्थापित होने की बात कोई नहीं करता। घाटी में चल रहे आंदोलन की असलियत दुनिया भर को बताना हमारा फ़र्ज़ है। यह एक ऐसा आंदोलन है जिसका एक ही उद्देश्य है- भारत से अलग होना। यह 'जिहाद (धर्मयुद्ध)' है जिसका नेतृत्व कट्टरपंथी युवक कर रहे हैं जो एक मुस्लिम धर्मतांत्रिक राज्य की स्थापना करना चाहते हैं। यह किसी भी सूरत में आज़ादी की लड़ाई नहीं है। यह एक हिन्दू विरोधी, भारत विरोधी धर्मयुद्ध है जिसमें घाटी के दो सौ से अधिक आतंक़वादी संगठन लगे हुए हैं जो एक ही लक्ष्य के लिए संघर्ष करने में एक दूसरे से होड़ लगा रहे हैं।

पूरे संसार और मानवधिकार संगठनों, संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकारों के हनन की जाँच करने वाली ऐसी अन्य संस्थाओं से हम यह कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कश्मीरी पंड़ितों के खिलाफ ही यह धर्मयुद्ध शुरू हुआ था, अब जिसका अंतिम दौर आ गया है। कश्मीरी हिन्दू को उसके प्राकृतिक परिवेश से बाहर खदेड़ कर अब आतंकवादी उसकी छोड़ी हुई करोड़ों रुपए की जायदाद को लूट रहे हैं, तबाह कर रहे हैं और जला कर राख कर रहे हैं। उसकी ज़मीनों और जायदादों पर भी कब्ज़ा किया जा रहा है।

भारत सरकार को जम्मू व कश्मीर को लेकर उसकी गलत नीतियों की याद दिलाने की कोशिश भी हम कर रहे हैं। कश्मीरी आतंकवादियों का दिल जीतने के लिए भारत सरकार उनसे ज्यादा ही लाड़ करके उन्हें सर चढ़ा रही है। शरणार्थी शिविरों में सड़ रहे कश्मीरी हिन्दू निर्वासितों से अधिक उसे जेलों में आतंकवादियों के जीवन-स्तर को बढ़िया बनाए रखने की चिंता है।

विश्व के जिन समुदायों को स्वतंत्रता और शांति से प्यार है उनसे हम अपील करते हैं कि वे इस पाक प्रायोजित आतंकवाद का विरोध करें जिसने 'भारत के स्वर्ग' कश्मीर को नरक में बदल दिया है। यह अपील करके हम भारत सरकार के ही हाथ मज़बूत कर रहे हैं।

होमलैंड की मांग करके हम कश्मीर पर भारत के दावे को मजबूत करते हैं। कश्मीर वैदिक काल से भारत का सरताज रहा है। सभ्यता की शुरूआत यहीं से हुई और इसके सच्चे वारिस और रक्षक कश्मीरी हिन्दू हैं। धर्म निरपेक्षता और जनतंत्र के इस हिन्दुस्तानी किले को हम ही बचा सकते हैं। हिन्दूकुश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मध्य एशिया और ईरान से फैल रहे सर्वइस्लामी दादागिरी के तूफान के रास्ते में हम सबसे बड़ी रूकावट हैं।

❀ ❀ ❀

12

निर्वासितों को घाटी से बाहर राज्य में ही या राज्य के बाहर बसाने के बारे में क्या विचार है ?

कुछ लोगों ने निर्वासितों को घाटी से बाहर अर्धस्थायी रूप से बसाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि निर्वासित कश्मीरी पंडित पूरे जम्मू व कश्मीर राज्य के **स्टेट सब्जेक्ट** (स्थायी नागरिक जिसके लिए राज्य सरकार का प्रमाणपत्र लेना पड़ता है) हैं और इसलिए वे राज्य में किसी भी स्थान पर रह सकते हैं। लेकिन घाटी से बाहर के कस्बों और दूरदराज़ के गांवों तक के स्थानीय लोग कठिन हालात के कारण निर्वासितों को अपने यहां बसाने का विरोध करते हैं। जम्मू में पहले ही आबादी का विस्फोट हो चुका है। इस शहर में और निकटवर्ती स्थानों पर भी हमारे शरणार्थी होने का विरोध हुआ है और उसको लेकर गुस्सा भी है। हालांकि हम राज्य के स्टेट सब्जेक्ट हैं फिर भी राज्य के अपने परिवेश के बाहर हमारे साथ अछूतों का सा व्यवहार हो रहा है। निर्वासित समुदाय के नौकरीपेशा सदस्यों को उपयुक्त स्थानों पर लगाने और उनके बच्चों को शिक्षा संस्थानों में प्रवेश देने का भी ज़बरदस्त विरोध हुआ है। तबादले और तरक्कियां नहीं के बराबर हुई हैं और राज्य सरकार में नौकरियों पर शायद ही किसी की नियुक्ति हुई हो जिससे यह समुदाय असहाय हो गया है। अब गड़बड़ी पैदा करने वाले कुछ दल विस्थापित समुदाय को जम्मू से निकाल देने और उनको दी जाने वाली राहत को रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह इस समुदाय को पूरी तरह से बरबाद कर देने के बराबर है।

राजौरी, पुंछ, किश्तवाड आदि जैसे बाहरी क्षेत्रों में बसाना भी सुरक्षित नहीं है। वहां बाहर से आकर बसने वालों के विकास और फलने फूलने की संभावनाएं बहुत कम हैं। वहां रहकर वहां की सीमाओं के भीतर ही कैद रहना पड़ेगा। हमारे उन पूर्वजों को याद कीजिए जो सैंकड़ों वर्ष पहले मुसलमान शासकों की क्रूरता से बचने के लिए किश्तवाड और निकटवर्ती क्षेत्रों के जंगलों में बस गए। सदियों बाद भी वे पिछड़े हुए हैं। आज़ादी मिलने के बाद जो सुविधाएं घाटी के कोने-कोने में पहुंची उन्होंने अतीत के इन विस्थापितों को छुआ तक नहीं। वे अभी भी बंजर ज़मीनों को जोतने, घरेलू नौकरों, नानवाइयों, रसोइयों या अर्दलियों के रूप में छोटे-मोटे काम करने के लिए मजबूर हैं। सदियों पहले घाटी से खदेड़े गए इन

लोगों को स्वतंत्रता मिलना अभी बाकी है और वे जनतंत्र का क-ख भी नहीं जानते हैं। भविष्य की ओर देखने वाले निर्वासित कश्मीरी अब ऐसी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। हां, हम जम्मू में मेहमान हैं लेकिन घाटी में अपने होमलैंड यानी हमारी अपनी भूमि, अपने हिस्से में वापस जाने के लिए हमें हर संभव प्रयत्न करना है। घाटी से बाहर बसाए जाने की किसी भी अर्धस्थायी व्यवस्था को स्वीकार करना घाटी में अपना अधिकार छोड़ देने के बराबर है।

जम्मू व कश्मीर राज्य के बाहर स्थायी या अर्धस्थायी तौर पर बसाया जाना भी वर्तमान हालात में बुद्धिमानी नहीं होगी। यदि अपने राज्य के ही दूसरे क्षेत्र में लोग हमें स्वीकार नहीं करते हैं तो दूसरे राज्यों में स्थान मिलने की उम्मीद हम कैसे कर सकते हैं। हर जगह बढ़ती हुई आबादी और साधनों की कमी की समस्या है और क्षेत्रीयतावादी और उग्रवादी शक्तियाँ सर उठा रही हैं। इसलिए किसी और राज्य में शरण लेना या वहाँ बस जाना मूर्खता होगी। हमारे साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों से भी बदतर व्यवहार किया जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत एक स्वतंत्र देश है जिसके संविधान में हर एक के लिए जीवन, काम, जायदाद, अपनी बात कहने और धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। देश में कहीं भी ज़मीन खरीदने, बसने और नौकरी करने पर कोई पाबंदी नहीं है। हमारे कुछ निर्वासित सदस्यों ने व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा ही किया है और इस प्रक्रिया में वे एक दूसरे से अलग होकर बिखर गए हैं। ऐसा करने से तो इस समुदाय का अंत ही हो जाएगा। हममें से कुछ जो ज्यादा खुशकिस्मत हैं उनको व्यक्तिगत तौर पर जीवित रहने का अवसर मिल सकता है। लेकिन देश का नेतृत्व कर सकने की क्षमता वाले एक योग्य, स्वस्थ और गतिशील समुदाय के रूप में बने रहने का आखिरी मौका भी हमारे हाथ से निकल जाता है। यदि अपनी सदियों पुरानी परंपराओं और संस्कृति को बचाते हुए हम एक गौरवशाली समुदाय के सदस्यों के रूप में जीना चाहते हैं तो हमें घाटी में अपने हिस्से के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी।

❀ ❀ ❀

13

क्या होमलैंड के नारे से कश्मीरी पंडित समुदाय के हितों को कोई नुकसान पहुंचेगा ?

मुस्लिम शासन में रहते हुए सदियों तक बेशुमार तकलीफें सहने के बावजूद कश्मीरी पंड़ित समुदाय की कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं रही है और न ही इसने अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं को लेकर कुछ कहा है। यह सदा ही एक तरफ पड़ा रहा है। राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक स्तरों पर कुछ नया करने की कोशिशें हुई तो कश्मीरी पंड़ित को या तो उससे बाहर रखा गया या उसके साथ सौतेला व्यवहार किया गया। इस समुदाय ने समझौता करना, चुपचाप सहते रहना और दो जून रोटी का जुगाड़ करना ही सीखा था। यह किसी तरह से दिन काट रहा था। इसलिए 'होमलैंड' के विचार को स्वीकार करना और इसे गले उतारना थोड़ा मुश्किल लगता है। सदियों से मुस्लिम बहुसंख्यकों ने जो सोच हावी कर रखी है उसकी बेड़ियों की जकड़ से मुक्त होकर कश्मीरी हिन्दू को अपने बारे में सोचना होगा। होमलैंड का विचार एक सपना लग सकता है। इसका असलियत में बदलना भी असंभव लग सकता है। लेकिन सपना हक़ीक़त से सिर्फ एक क़दम दूर होता है। नगण्यता की स्थिति से उबर कर हमें दिखाना ही होगा कि हम भी कुछ हैं। यह तभी हो सकता है जब मुस्लिम बहुसंख्यकों की कृपा और दया की प्रतीक्षा न करके हम अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होंगे।

इस समुदाय के अस्तित्व की रक्षा के लिए कम से कम होमलैंड का होना जरूरी है। हम में से कुछ लोग अभी भी यह सोच कर खुद को भुलावे में रख रहे हैं कि कश्मीर में हालात ठीक हो जाएंगे और वे वापस कश्मीर जाएंगे जहां उन्हें समान अधिकार दिए जाएंगे और वे पूरी इज्ज़त के साथ वहां रह सकेंगे। इसलिए होमलैंड के रूप में अपना हिस्सा मांग कर मुसलमानों को नाराज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इनमें से अधिकतर सत्ता के दलालों और बदनाम राजनीतिज्ञों के पिछलग्गू और उनकी जी हजूरी करने वाले हैं। दूसरे वे हैं जो आतंकवादियों से मिले हुए हैं और उनके हाथों में खेल रहे हैं। लगभग दो हजार हिन्दू अभी भी घाटी में हैं। इनमें से अधिकतर भय और घुटन में रह रहे हैं। कुंछ तो वहां रहने के लिए पैसा भी देते हैं। उन्हें उग्रवादियों की भाषा बोलने के लिए मजबूर किया जाता है। कुछ हिन्दू धर्मपरिवर्तन करके मुसलमान बन गए हैं। हालांकि उनके नाम नहीं बदले गए हैं लेकिन उन्हें मुसलमानों का सा

व्यवहार ही करना पड़ता है। कुछ अन्य सुरक्षा बलों की तथाकथित ज्यादतियों के खिलाफ बोलने वाले प्रवक्ता बन गए हैं। अपने आंदोलन को गैर -साम्प्रदायिक साबित करने के लिए आतंकवादी उन्हें संचार माध्यमों के आगे कर देते हैं। उसी समय यही आतंकवादी कहते हैं कि वे भारत को निकाल फेंकने के लिए जिहाद लड़ रहे हैं और राज्य को कुरान शरीफ के कायदों के अनुसार चला रहे हैं। इस तरह से मुट्ठी भर हिन्दू पहले ही इस्लामी धर्मयुद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। घाटी में जो सांप्रदायिकता का तूफान आया हुआ है ये लोग उसका मुकाबला नहीं कर रहे, बल्कि उसको चुपचाप सह रहे हैं।

कश्मीरी पंड़ितों को समझना ही होगा कि हर हलके में उनकी तबाही का फायदा उठाया जा रहा है। घाटी के मुसलमान कुछ हिन्दुओं को वहां रखकर भोली-भाली दुनिया को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे सांप्रदायिक नहीं हैं। हमारे निर्वासन के बाद जो शासनतंत्र हम पर राज कर रहा है वह हमारी दुर्दशा के बहाने ऐश कर रहा है। विस्थापितों की राहत और पुनर्वास का पैसा राहत संस्थाएं हथिया रही हैं। मध्यस्थों और बैंकवालों से मिलकर उन्होंने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है और सारा दोष इस पीड़ित समुदाय के मत्थे मढ़कर इसे बदनाम किया है। कई राजनीतिक पार्टियां हमारे दुखों से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए हमारा इस्तेमाल कर रही हैं। जिन शहरों में निर्वासित रह रहे हैं वहां के दुकानदार, कारोबार करने वाले और मकान मालिक अपनी चीज़ों के लिए उनसे ज्यादा दाम लेते हैं जबकि स्थानीय लोगों से कम दाम लिए जाते हैं। इस तरह हर कदम पर धोखा खाना हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं! इसलिए हमारे पास हमारी अपनी जगह, हमारा होमलैंड होना ही चाहिए।

होमलैंड की हमारी मांग बिल्कुल उचित हैं और इससे किसी के भी हितों को नुकसान नहीं पहुंचता है क्योंकि हम किसी के अधिकारों में टांग नहीं अडा रहे हैं। इस बात के स्पष्ट संकेत हैं कि हमारे अपने अधिकारों के लिए उठ खड़े होने से नहीं, चुपचाप उत्पीड़न सहने से कश्मीरी मुसलमान तंग आ गए थे। जिन कश्मीरी हिन्दुओं को उन्होंने निर्वासित कर दिया उन्हें 'होमलैंड' मिल जाने से मुसलमानों को घाटी के अपने हिस्से में मनमानी राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के लिए दबाव डालने की पूरी आज़ादी होगी।

❁ ❁ ❁

14

घाटी के आतंकवादी संगठनों ने निर्वासितों को वापस बुलाया तो क्या होगा ?

कई आतंकवादी संगठनों ने समय-समय पर दावा किया है कि उनका आंदोलन सांप्रदायिक नहीं है लेकिन फिर भी वे 'निज़ामे मुस्तफा' यानी इस्लामी सरकार बनाने की कसम एक स्वर से खाते रहे हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी भी चीज़ और 'काफिरों' के खिलाफ 'जिहाद' यानी पवित्र युद्ध लड़ने में उन सभी को गर्व होता है। मस्जिदों और अन्य मंचों से वे एक स्वर में चिल्लाते रहे हैं कि उनका संघर्ष शरीयत अर्थात् न्याय और शासन के इस्लामी नियमों को लागू करने के लिए हैं। 1947 से कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है वह निश्चित रूप से धर्मनिरपेक्षता का विनाश था जिसके स्थान पर वह सब कुछ लाया गया जिसके लिए युद्ध करने का दावा आतंकवादी करते हैं। आतंकवाद से इस सब पर लोगों की स्वीकृति की आखिरी मुहर लग गई हैं।

दुनिया के सामने कश्मीरी अल्पसंख्यकों के विस्थापन और कश्मीर के आतंकवाद की असलियत स्पष्ट हो गई है। इससे अपने आंदोलन को आज़ादी की लड़ाई बताने वाले आतंकवादियों की योजनाओं पर पानी फिर गया है। इसलिए वे निर्वासितों को वापस बुलाने और उन्हें राज्य के तथाकथित स्वतंत्रता आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए कहने की योजनाओं पर विचार करते रहे हैं। आतंकवादी समझते हैं कि निर्वासित कश्मीरी हिन्दू जिंदगी और मौत का संघर्ष कर रहे हैं और अपने घरों को लौटना चाहते हैं। इसलिए वे आसानी से इस जाल में फँस सकते हैं। कई निर्वासितों का कहना है कि निर्वासन की तकलीफ और सरकारी गिद्धों की दया पर अपने ही देश में शरणार्थियों का अपमानजनक जीवन जीने से अच्छा था कि घाटी में आतंकवादियों की गोलियां ही खाते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 'निज़ामे मुस्तफा' के अंतर्गत अपनी ही जन्मभूमि पर अजनबियों की तरह रहने के लिए भी तैयार हैं। घाटी में अभी भी रह रहे दो हज़ार से अधिक हिन्दुओं ने इसी स्थिति के साथ समझौता किया है।

दुख की बात है कि बहुत से निर्वासित कश्मीरी आतंकवादियों के इसी बुलावे की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसी तकलीफ है निर्वासित जीवन जीने की कि जो लोग घाटी में ज़िबह किए गए और वहां से निकाल फेंके गए, वे ही महसूस करते हैं कि

हिन्दुओं और दूसरे धर्मनिरपेक्ष तत्त्वों की जड़ें तक खोद देने और भारत को बाहर निकालने की क़सम खाने वाले मुसलमानों के दिल बदल जाएंगे । उन लोगों के दिल बदल जाएंगे जिन्हें समय-समय पर नफरत की पट्टी पढ़ाई जाती रही है और जो ऐसे मज़हबी स्कूलों में पढ़ते हुए बड़े हुए हैं, जिनमें इस्लाम गलत ढंग से पढ़ाया जाता था ! निर्वासितों को ऐसे लोगों के दिल बदलने की आशा है जिन्होंने कसम खाई है कि जान दे देंगे लेकिन अपने मालिकों की आज्ञा पर अपने निकटतम संबंधियों की हत्या करने से भी नहीं हिचकेंगे ! कश्मीरी हिन्दू समुदाय को याद रखना चाहिए कि उसने मुसलमानों को एक बार नहीं बल्कि छह बार आज़माने की कोशिश की है । वर्तमान निर्वासन, कश्मीर में इस्लाम के आने के बाद से छठा निर्वासन है ।

क्या हम इसलिए आतंकवादियों के स्वागत की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वे जब चाहें हमें फिर से निकाल फेंकें ? क्या हम लगातार भय और अनिश्चितता के वातावरण में, दूसरे दर्जे के नागरिकों की तरह, मातहत बन कर फिर से रहना चाहते हैं ?

यहां जुलाई 1992 के उस अनुभव को याद करना भी उचित होगा जब अठारह निर्वासित परिवारों को वापस घाटी में लौटने के लिए प्रेरित किया गया । इससे हमें सबक लेना चाहिए । कुछ आतंकवादी संगठनों से मिले हुए बेईमान राजनीतिज्ञों ने इनसे वादा किया था कि इन्हें घाटी में इनके घरों तक सुरक्षित पहुंचा दिया जाएगा । लेकिन इनके घाटी में पहुंचने पर काफी शोरशराबा हुआ और अन्य आतंकवादी संगठनों ने इन्हें बारामुल्ला कस्बे में छोड़े गए घरों में फिर से जाने नहीं दिया । इसके विपरीत उन्हें मंदिरों में जमा किया गया और फिर पुलिस स्टेशन में शरण लेने को कहा गया । आखिरकार यह हुक्म सुनाया गया कि वे तुरन्त चले जाएं या मरने के लिए तैयार रहें । इस बदकिस्मत दल का एक सदस्य पुष्कर नाथ पुलिस की सुरक्षा के घेरे से बाहर निकला तो उसकी टांग में गोली मार दी गई । ये असहाय परिवार घाटी के अपने घरों में आतंकवादियों के रहमोकरम पर रहने को भी तैयार थे और इसलिए उन्हें एक और निर्वासन झेलना पड़ा । कट्टरपंथियों के साथ मिलकर मक्कार राजनीतिज्ञों ने उनके साथ यह क्रूर मज़ाक किया था । निर्वासित समुदाय के इन सदस्यों के इस मूर्खतापूर्ण आत्मसमर्पण के कारण पूरे समुदाय की खिल्ली उड़ाई गई । निर्वासित समुदाय में दरार पैदा करने की यह एक गहरी चाल थी । कुछ परिवारों को बेहद खतरनाक और असुरक्षित स्थितियों में वापस जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया जिससे ऐसा लगे कि आतंकवादी सांप्रदायिक नहीं हैं । इससे इस समुदाय के वे सदस्य बदनाम हो जाते जो कश्मीर

घाटी में अपने हिस्से-अपने होमलैंड के बिना और पूरी सुरक्षा, सम्मान और गौरव के बिना वापस लौटने का विरोध करते हैं।

आतंकवादी अपनी रणनीति के अनुसार कभी दोस्ती तो कभी दुश्मनी करते हैं। हिन्दू अल्पसंख्यकों के वापस लौटने के लिए उन्होंने कठिन शर्तें रखी हैं। वे चाहते हैं कि गिरफ्तार किए गए तमाम आतंकवादियों को छुड़वाने के लिए हिन्दू अल्पसंख्यक आंदोलन करें और जम्मू व कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी कानूनों को लागू करने के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ें। और फिर भारत से 'आज़ादी' प्राप्त करने के बाद ही वे सोचेंगे कि निर्वासितों को घाटी में वापस आने देंगे या नहीं।

यही समय है कि निर्वासित समुदाय समझ ले कि होमलैंड की मांग एक पलायनवादी नारा नहीं हैं। अपने अधिकारों, अपने जीवन अपने अस्तित्व को बचाने का और कोई रास्ता नहीं हैं। मुस्लिम बहुसंख्यकों की सनक का शिकार होता हुआ हिन्दू अल्पसंख्यक कब तक उनके इशारों पर नाचता हुआ दासता का जीवन जीता रहेगा ? देश को अपनी नज़रों से परदा हटाकर कश्मीर के हालात को साफ-साफ देखना होगा। अब वहां कोई भी अफसोसनाक प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस समय निर्वासित समुदाय को वापस लौटने के लिए प्रेरित करना उसकी तबाही का रास्ता खोल देने के बराबर है। घाटी में सुरक्षा की स्थिति और बदले हुए सामाजिक और राजनीतिक हालात में वापस लौटे हुए लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ जाएंगी। उनका वापस लौटना तभी संभव है जब एक सुव्यवस्थित 'होमलैंड' में सुरक्षा के पूरे आश्वासनों के साथ उन्हें भेजा जाए।

❀ ❀ ❀

15

होमलैंड के विचार के फलने फूलने की क्या संभावनाएं हैं ?

हम चाहते हैं कि होमलैंड संघ शासित प्रदेश हो और इसका फलना-फूलना निश्चित है । हमने शेष घाटी, राज्य के दूसरे क्षेत्रों और देश के अन्य राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का स्वप्न देखा है । यह होमलैंड घाटी में भारतीयता का गढ़ होगा जिसकी निश्चित सीमाएं, सुरक्षा और प्रतिरक्षा की स्थायी व्यवस्था होगी ।

कोई भी देश या राज्य आत्मनिर्भर नहीं हो सकता और कोई भी समाज या समुदाय अपने आप में पूर्ण नहीं होता । किसी भी क्षेत्र का विकास तभी हो सकता है जब वहां के लोग इसके संसाधनों का उचित उपयोग करें । हमारे पास मानवीय और प्राकृतिक दोनों तरह के पर्याप्त संसाधन हैं । कश्मीर शिक्षा और ज्ञान का गढ़ यानी **'शारदपीठ'** रहा है । हम इसको फिर से ऐसा बना सकते हैं । एक अच्छा विश्वविद्यालय, मेडिकल, इंजीनियरिंग या कृषि कालेज और कला तथा वाणिज्य संस्थान खोलने के लिए हमारे पास विशेषज्ञों और अन्य आवश्यकताओं की कमी नहीं है । शिक्षा का स्तर इस सीमा तक ऊंचा उठाया जा सकता है कि दूसरे राज्यों और देशों से भी विद्यार्थी और अध्यापक आकर्षित हो सकते हैं । इलेक्ट्रॉनिकी और सॉफ्टवेयर उद्योग में भी हम बेहतरीन काम कर सकते हैं । पर्यटन उद्योग से तो अपार संभावनाएं हैं ही । तीर्थस्थानों का विकास भी व्यापक स्तर पर किया जा सकता है । कृषि, हथकरघा, रेशम उद्योग, मछली उद्योग और बागबानी का क्षेत्र भी काफी बड़ा है । और होमलैंड की जरूरतों को नई दृष्टि से देखकर नए नए क्षेत्रों में काम किया जा सकता हैं । हम सभी क्षेत्रों में अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं । एक उदार और शांतिपूर्ण होमलैंड ही हमारा उद्देश्य है जिससे हमारे भारतवर्ष में एक आदर्श स्थापित होगा ।

* * *

16

घाटी से बाहर बस चुके नए और पुराने कश्मीरी पंडितों का क्या होगा ?

हम भारतीय थे भारतीय हैं और भारतीय रहेंगे। होमलैंड की मांग को जातिवाद या उग्र-राष्ट्रवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह एक विशिष्ट संस्कृति वाले समुदाय के अस्तित्व की रक्षा के लिए अनिवार्य है। देश के दूसरे हिस्सों में बसे हुए कश्मीरी पंड़ितों को देखकर हमें गर्व होता है कि वे विभिन्न क्षेत्रों में अपना मूल्यवान योगदान दे रहे हैं। उन सभी के मन में यह भावना है कि घाटी में उन्हें पक्षपात और अभाव सहना पड़ा जिसकी वजह से उन्हें अपनी जन्मभूमि छोड़नी पड़ी थी। ज़रूरी नहीं है कि होमलैंड मिलने से वे वापस चले आएं। लेकिन इससे उन्हें मानसिक और नैतिक बल मिलेगा और अपनी खोई हुई अस्मिता भी फिर से प्राप्त होगी। वे अपनी-अपनी जगहों से ही इस लड़खड़ाते हुए समुदाय को सहायता और मार्गदर्शन दे सकेंगे। उनमें से कुछ अपनी जन्मभूमि को वापस भी लौट सकते हैं। असल में उन सभी के वापस लौटने के लिए हालात पैदा करने होंगे जो कहीं और बसने के लिए ज़मीन की तलाश में बेशुमार तकलीफें सह रहे हैं और उनके लिए भी जो सर के ऊपर एक छत और दो जून रोटी की तलाश में खानाबदोश हो गए हैं। हमारे पास प्रतिभा का खज़ाना है; विशेषकर शैक्षिक और वैज्ञानिक क्षेत्रों में तो बहुत ही अधिक। देश विदेश में हमारे जो कश्मीरी पंड़ित महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हैं और होमलैंड के पवित्र उद्देश्य से जुड़े हैं, उनसे हमारा निवेदन है कि सहायता और सहयोग के लिए आगे आएं।

❋ ❋ ❋

17

धारा 370 और होमलैंड के बारे में क्या विचार हैं ?

धारा 370 के अंतर्गत जम्मू व कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया है जो भारतीय संविधान के मूल तत्त्व के खिलाफ है। यह एकता में अनेकता के उस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है जिसको सुदृढ़ बनाने का दावा भारतीय संविधान करता है। जम्मू व कश्मीर को भारत की मुख्य धारा से जोड़ने की बजाय इस धारा ने दूरियां ही बढ़ा दी हैं और अलगाव के रास्ते खोल दिए हैं। कश्मीर के भारत में विलय पर प्रश्नचिह्न लगाने वालों ने भी इस धारा को अपने तर्कों का आधार बना कर जम्मू व कश्मीर के अनिश्चित दर्जे की बात उछाली है। राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की कीमत पर बहुसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा करती रही है और उन्हें गरिमामंडित करती रही है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं और आश्वासन दिए गए हैं लेकिन राज्य में इसका इस्तेमाल बहुसंख्यकों के लिए किया गया है।

जब निर्वासित कश्मीरियों को होमलैंड दे दिया जाएगा तो घाटी/राज्य के शेष भाग में इस धारा के लागू रहने का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने भारतीय संविधान को इसके निर्बाध रूप और वास्तविक अर्थों में स्वीकार किया है।

❋ ❋ ❋

18

आखिर होमलैंड इतना ज़रूरी क्यों हैं ?

होमलैंड की मांग न केवल स्वाभाविक और आवश्यक है, बल्कि इसके सिवा कोई चारा ही नहीं है। कश्मीरी पंडित इतिहास के निर्णयक दौर में पहुंच गया है। अल्पसंख्यक होने की हीन-भावना को इसे उखाड़ फेंकना होगा। इसके बोझ तले यह सदियों तक कुछ नहीं कर पाया। कश्मीर का पूर्ण इस्लामीकरण एक ऐतिहासिक सच है और कश्मीरी पंडित इसे पीछे की ओर नहीं मोड़ सकता। वह घाटी के सांप्रदायिक वातावरण को भी नहीं बदल सकता जिसमें उसका जिंदा रहना बेहद मुश्किल रहा है। जम्मू व कश्मीर राज्य में अपने अधिकार को यह छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि देश की विशाल जनसंख्या में यह खो जाएगा। इसलिए इसे होमलैंड मांगना ही होगा और वह भी इसी समय।

निर्वासन की वर्तमान स्थिति में पूरे समुदाय को जो शारीरिक और मानसिक तकलीफ हो रही है वह शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। पुरानी पीढ़ी तेज़ी से खत्म हो रही है क्योंकि उसपर समय से पहले ही बीमारियों की मार हुई है बेकारी और अभाव के कारण अधेड़ उम्र के लोग समय से पहले ही बूढ़े हो रहे है। स्कूलों कॉलेजों में प्रवेश न मिलने, जातिवाद के शिकार होने और रोज़गार के अवसर न मिलने के कारण युवा पीढ़ी की हिम्मत टूट गई है और इसे कुंठाओं ने घेर लिया है। निर्वासन में जो नई पीढ़ी जन्म ले रही है वह बेहद प्रतिकूल और विरोधी माहौल में बड़ी हो रही हैं। ऐसा ही चलता रहा जो पूरे समुदाय को बरबाद होने में अधिक समय नहीं लगेगा। यह समुदाय दिन-ब-दिन हर मोर्चे पर कमज़ोर होता हुआ विनाश की ओर बढ़ रहा है। इसलिए होमलैंड बेहद जरूरी है।

हमें स्वयं को फिर से याद दिलाना है कि अपनी जिस पहचान की तलाश हम कर रहे हैं वह हमें केवल होमलैंड में मिल सकती है। देश को इसकी कोई चिंता नहीं है। यह विडम्बना ही है कि 80 प्रतिशत हिन्दू आबादी वाले इस देश में हम अपने ही देश में शरणार्थी हो गए हैं और देश की अंतरात्मा बिल्कुल बेचैन नहीं होती। ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है। केवल भारत में ही पूरा राष्ट्र एक छोटे से अल्पसंख्यक समुदाय के निर्वासन को आँख मूंदकर स्वीकार कर लेता है। वह इसलिए कि वह धर्मांध कट्टरपंथियों की दया पर जीने वाला मुस्लिम बहुल राज्य का हिन्दू अल्पसंख्यक समुदाय है। इससे पहले कि इस समुदाय का और नुकसान

हो, यह टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर जाए, होमलैंड की मांग अनिवार्य हो जाती है। होमलैंड इसलिए भी जरूरी है कि इसके प्राप्त हो जाने से घाटी के हालात के सामान्य हो जाने की प्रक्रिया की शुरूआत होगी। जड़ से उखाड़े गए नागरिकों को उनके प्राकृतिक परिवेश में फिर से बसाना देश का पहला कर्त्तव्य है। ऐसा तभी होगा जब आतंकवाद के खिलाफ कठोर क़दम उठाए जाएं। कश्मीर को लेकर भारत सरकार की नीतियां और प्राथमिकताएं ढुलमुल रही हैं। असल में एक तरफ उद्देश्यहीनता तथा निराशा और दूसरी तरफ मुस्लिम बहुसंख्यकों की खुशामद के सिवा इसके पास कोई निश्चित नीति नहीं है। घाटी में हिन्दू अल्पसंख्यकों का जाति संहार इस नीति का भयंकरतम परिणाम है। इस बात को भारत सरकार समझ ले तो कश्मीर को लेकर यह उसका पहला कदम होगा। यदि उसे लगे कि उन देशभक्त नागरिकों के हितों और उचित अधिकारों की रक्षा करनी है जो कश्मीर में भारत के लिए लड़ते रहे हैं और कठिनाइयां सहते रहे हैं तो यह दूसरा कदम होगा। फिर सबसे बड़ा और आखिरी कदम होगा इस समुदाय को होमलैंड प्रदान करना।

❀ ❀ ❀

19

क्या हम केवल हिन्दुओं के लिए होमलैंड मांग रहे हैं ?

नहीं, होमलैंड केवल हिन्दुओं के लिए नहीं है । हम अपने देश की धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक व्यवस्था से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, जिसमें हर आदमी को जिंदा रहने का अधिकार है । इसलिए हम केवल हिन्दुओं के लिए होमलैंड कैसे मांग सकते हैं ? हम उन निर्वासित कश्मीरियों के लिए होमलैंड मांग रहे हैं जिन्होंने सदियों तक दमन सहा है, अत्याचारी मुसलमान शासकों ने जिन्हें बार-बार निर्वासित होने के लिए मजबूर कर दिया है, और अब जिन्हें ऐसा जातिसंहार सहना पड़ रहा है जो किसी भी स्वतंत्र और जनतांत्रिक देश के इतिहास में देखा-सुना नहीं गया है। इनमें ज्यादातर हिन्दू ही हैं । यही लोग जम्मू व कश्मीर में धर्मनिरपेक्ष के लिए अपना बलिदान देते रहे हैं । राष्ट्रभक्त और धर्मनिरपेक्ष होने का बहुत बुरा फल मिला है उन्हें । उनके लिए उसी स्थान के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं जहां के वे मूल निवासी हैं । घाटी का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका है । चारों और इस्लाम ही इस्लाम है और अन्य समुदायों के लिए कोई स्थान नहीं हैं । ऐसे माहौल में कश्मीरी हिन्दू समुदाय सुरक्षा और आत्मसम्मान के साथ नहीं रह सकता है । अगर इस समुदाय को टूट कर बिखरने दिया जाता है तो यह भारत के धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक आदर्शों का पूर्ण अस्वीकार होगा । अगर उन्हें उनके अपने प्राकृतिक परिवेश में, उनके "पनुन कश्मीर" में, उनका उचित हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो इसके काफी बुरे परिणाम होंगे । देश के दूसरे राज्यों में भी कट्टरपंथी ताकतें सर उठा सकती हैं जिनपर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा । वहां के अल्पसंख्यकों को भी विस्थापन झेलना पड़ सकता है । इसलिए ये कश्मीरी विस्थापित पूरे सम्मान के साथ घाटी में बसना चाहते हैं । ऐसे हर व्यक्ति का वे स्वागत करेंगे जो धर्मनिरपेक्षता,जनतंत्र और सबके लिए समान कानून के सिद्धांतों के फलने फूलने में अपने योगदान दे सके । हम कश्मीर घाटी को हिन्दू कश्मीर और मुसलमान कश्मीर में विभाजित नहीं करना चाहते हैं क्योंकि मुसलमान कश्मीर पहले ही वजूद में आ चुका है । हम केवल इसमें से अपना उचित हिस्सा चाहते हैं जिसे हम धर्मनिरपेक्ष-जनतांत्रिक होमलैंड में बदल देंगे । यहां धारा 370 का कोई बंधन नहीं होगा और यह पूर्ण रूप से भारत का अटूट हिस्सा होगा ।

20
'पनुन कश्मीर' क्या है और इसका उद्देश्य क्या है ?

'किसी भी हमले को रोका जा सकता है, लेकिन उस विचार को नहीं जिसका समय आ गया हो।'

'पनुन कश्मीर' कश्मीर घाटी से विस्थापित होकर निकल चुके कश्मीरियों की आत्मा में बसी आशाओं और आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति है। ये आशाएं और आकांक्षाएं सदियों तक उसके भीतर घुटती रहीं। अपनी जड़ों की तलाश करना, अपनी पहचान को बनाए रखना और अपने राजनैतिक, कानूनी और ऐतिहासिक अधिकारों पर ज़ोर देना किसी भी समाज के स्वभाव में होता है। आत्मसम्मान और गौरव से भरा हुआ कश्मीरी पंडित समुदाय शांतिपूर्ण और सम्मानित जीवन जीना चाहता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'पनुन कश्मीर' के रूप में एक असाधारण राजनीतिक मंच उठ खड़ा हुआ है। अपने आत्मसम्मान और गौरव के कारण ही कश्मीरी पंडित घाटी के धर्मांध आतंकवादियों की आंख की किरकिरी बन गया था।

'पनुन कश्मीर' केवल एक पार्टी या संगठन नहीं बल्कि लोगों का एक आंदोलन है। इसके पहले सिद्धांत तौर पर पूरा कश्मीरी पंडित समुदाय वचनबद्ध है कि वह अलग-अलग व्यक्तियों की भीड़ के रूप में नहीं बल्कि एक संगठित इकाई के रूप में व्यवहार करेगा। कश्मीरी पंडित हीन भावनाओं से ग्रस्त, जी हज़ूरी करने वाले लोग नहीं बल्कि अपने भाग्य के निर्माता बनेंगे। वे सुधारक बनेंगे, बेहूदा रूढ़ियों और रिवाजों के गुलाम नहीं। यानी 'पनुन कश्मीर' हर लिहाज़ से एक क्रान्तिकारी कदम है जिससे पूरे कश्मीरी पंडित समाज का दृष्टिकोण और मानसिकता बदल रही है। जो भी व्यक्ति इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहता है हमारा उससे कहना है कि, "चले आओ और जब तुम्हारे मकान, जायदाद और नौकरी की नहीं बल्कि तुम्हारी जन्मभूमि, तुम्हारे अपने कश्मीर की कसक तुम्हारे भीतर उभरे तो हम तुम्हारे साथ होमलैंड की बात करेंगे।" हमें अपने कर्त्तव्य की भी उतनी ही जानकारी होनी चाहिए जितनी कि होमलैंड पर अपने अधिकार की। इस अधिकार का ही सबसे अधिक महत्व है और अपने देश और समुदाय के सम्मान, गरिमा, एकता और अखंडता की रक्षा के लिए हर बलिदान कम है। केवल पवित्र विचारों से ही होमलैंड नहीं मिल सकता है; हमें संघर्ष के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हमारी कम संख्या से हमारी हिम्मत कम नहीं होनी चाहिए। यदि हम अपने आदर्शों और उद्देश्यों पर डटे रहे तो हमारी सफलता निश्चित है। हमें अहिंसा का रास्ता अपनाना है; बंदूकों से लड़ने के लिए कलम का इस्तेमाल करना है। हमें केवल अपने समुदाय या अपने देश को ही नहीं, बल्कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को समझाना है कि हमारे 'होमलैंड' पर हमारा क्या अधिकार है।